भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

नवप्रभा

बीईएल कार्पोरेट कार्यालय की
अर्धवार्षिक ई-गृह पत्रिका

भारत की नई शिक्षा नीति

अक्तूबर 2020 से मार्च 2021
अंक - 10, वर्ष - 5

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

नवप्रभा

वर्ष 2020-21 के लिए कार्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रदत्त उत्कृष्ट राजभाषा कार्य-निष्पादन पुरस्कार

क क्षेत्र - गाज़ियाबाद

ख क्षेत्र - नवी मुंबई

ग क्षेत्र - चेन्नै

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
कार्पोरेट कार्यालय, बेंगलूरु

नव प्रभा अंक- 10, वर्ष-5
अर्धवार्षिक ई-गृह पत्रिका
(केवल निजी वितरण के लिए)

~ संरक्षक ~
श्री एम वी गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

~ प्रेरणा ~
श्री शिवकुमारन के.एम.
निदेशक (मानव संसाधन)

~ दिग्दर्शन ~
श्री विक्रमन एन
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

~ परामर्शदाता ~
श्री आनंद एस
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
(मा.सं.-नीति व क.सं.)

~ संपादन ~
श्रीनिवास राव
अधिकारी (राजभाषा)

डॉ. रहिला राज के.एम.
कनिष्ठ अनुवादक

~ प्रकाशन ~
बीईएल कार्पोरेट राजभाषा
फोन – 080 25039285
ईमेल –cool@bel.co.in

(इस अंक में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी विचार हैं, संपादक मंडल या बीईएल के नहीं। इन विचारों से संपादक मंडल या बीईएल की सहमति आवश्यक नहीं है।)

कहाँ क्या है?

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
01.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति – संक्षिप्त परिचय	17
02.	वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर केंद्रित शिक्षा नीति	18
03.	नव भारत निर्माण का आधार - शिक्षा	20
04.	सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का महत्व और नई नीति	21
05.	भारत की नई शिक्षा नीति की खूबियाँ	24
06.	जिंदगी – एक अद्भुत परिश्रम	25
07.	नवीन भारत की नूतन शिक्षा पद्धति	26
08.	नई शिक्षा नीति और मेरा नजरिया	29
09.	विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित शिक्षा पद्धति	31
10.	अभिनव पहल - नई शिक्षा नीति	32
11.	शिक्षा का नया आयाम नई शिक्षा नीति (एनईपी)	34
12.	पतझड़ और चुनाव	36
13.	नई शिक्षा नीति- सकारात्मक पहलू और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ	37
14.	नई शिक्षा नीति	38
15.	सा विद्या या विमुक्तये	39
16.	नई शिक्षा नीति बनाम पुरानी शिक्षा नीति	40
17.	लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (डीईडब्ल्यू)	42
18.	अब बदलाव की बारी	43
19.	हमारी राजभाषा गतिविधियाँ	44
20.	हिंदी साहित्य –गुलज़ार की कहानी 'धुआं'	51

राजभाषा दृष्टि
RAJBHASHA VISION

संस्थान के कार्यकलाप के हर क्षेत्र में राजभाषा हिंदी को सरल रूप में अपनाना।

To adopt Official Language Hindi in every sphere of activity of the Company in its simple form.

राजभाषा ध्येय
RAJBHASHA MISSION

प्रतिबद्धता, प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा हिंदी में मूल कार्य करने की संस्कृति को आत्मसात करना व राजभाषा हिंदी को मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के माध्यम के रूप में अपनाना

To imbibe a culture of doing original work in Hindi through Commitment, Motivation and Incentive and to adopt Rajbhasha Hindi as the spoken, written and electronic medium of communication.

कार्पोरेट राजभाषा कार्यान्वयन समिति

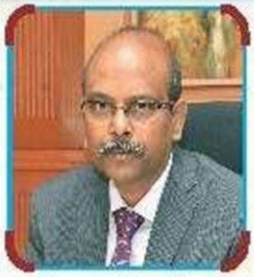

श्री एम वी गौतम
सी.एम.डी, अध्यक्ष

श्री शिवकुमारन के एम
निदेशक (एच.आर.) उपाध्यक्ष

श्रीमती रानी वर्गीस
ई.डी. (वित्त), सदस्य

श्रीमती हेमलता के
महाप्रबंधक (एस.पी.), सदस्य

श्री विक्रमन एन
महाप्रबंधक (एच.आर.), सदस्य

श्री के वी सुरेश कुमार
महाप्रबंधक, (टी.पी.), सदस्य

श्री रामन आर
महाप्रबंधक (आई.ए.), सदस्य

श्री मंजुनाथ डी हेगड़े
अ.म.प्र. (सतर्कता), सदस्य

श्री श्रीनिवास एस एस आर
व.उ.म.प्र. (लाइसें.), सदस्य

श्री सुरेश माइकल जी
अ.म.प्र. (एच.आर.), सहयो. सदस्य

श्री अशोक के एस
व.उ.म.प्र. (सी.सी), सदस्य

श्री मनोज यादव
व.उ.म.प्र. (एम.एस.), सदस्य

श्री श्रीनिवास एस
कंपनी सचिव, सदस्य

श्री श्रीनिवास राव
अधिकारी (रा.भा.), सदस्य सचिव

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021-22 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"ग" क्षेत्र
01.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	ग क्षेत्र से क क्षेत्र को – 55% ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को – 55% ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को – 55% ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के – 55% राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति क्षेत्र को
02.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%
03.	हिंदी में टिप्पण	30%
04.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	30%
05.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	40%
06.	हिंदी में डिक्टेशन / की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	30%
07.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%
08.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%
09.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिज़िटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी / डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%
13.	(i) मंत्रालयों / विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)
	(ii)मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें	
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%
16.	मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / बैंकों / उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	20% (न्यूनतम अनुभाग)

श्री. एम.वी. गौतम
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

संदेश

वैश्विक बाज़ार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के अलावा, मौजूदा कोविड 19 महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2020-21 में बीईएल का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा। लगातार सहयोग देते हुए समय पर अपना योगदान देने के लिए मैं कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूँ।

वह वास्तव में खुशी का क्षण था जब बीईएल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कुशल परियोजना प्रबंधन और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए यथासंभव कम समय में आईसीयू वेन्टीलेटर सी.वी.200 का सफल विकास, निर्माण और आपूर्ति किया। लॉकडाउन के समय अपने जीवन / स्वास्थ्य को खतरे में डालते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अत्यावश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

कोविड के तनाव के बीच छोटी छोटी खुशियाँ मन को राहत दे जाती हैं। इस वर्ष भी बीईएल को अनेक पुरस्कार और मान्यताएँ प्राप्त हुई हैं। पर राजभाषा की दृष्टि से यह वर्ष हमारे लिए विशेष है। विशेष इसलिए कि हमें भारत सरकार द्वारा राजभाषा के क्षेत्र के दो सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किए गए हैं - 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' एवं 'राजभाषा गौरव पुरस्कार'। ये पुरस्कार हमें कार्यालय में निरंतर हिंदी में कार्य करने और राजभाषा कार्यान्वयन को नई ऊंचाइंयों पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। इसका श्रेय आप सभी को जाता है क्योंकि आपके प्रयासों से ही हमें यह सम्मान मिला है।

हर्ष का विषय है कि **नवप्रभा** का यह अंक अपने आप में आत्मनिर्भरता का उदाहरण है क्योंकि यह अंक पूरी तरह संस्थागत रूप से कार्पोरेट राजभाषा द्वारा तैयार किया गया है।

भारत की नई शिक्षा पद्धति पर आधारित इस अंक में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियोंको मेरी बधाइयाँ।

म. वें. गौतम

(एम.वी. गौतम)

बीईएल में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं

तुलसीदास पुरस्कार योजना
सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए पुरस्कार योजना

प्रेमचंद पुरस्कार योजना
हिन्दी में कार्य करने के लिए कार्यपालकों तथा गैर–कार्यपालकों के लिए अलग अलग पुरस्कार योजना

जयशंकर प्रसाद पुरस्कार योजना
कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार योजना

कबीर पुरस्कार योजना
प्रेरणा देने वाले ऐसे उच्चाधिकारियों के लिए पुरस्कार जो हिन्दी में पृष्ठांकन/ हस्ताक्षर/ टिप्पणी लिखते हैं और अपने प्रभाग/ विभाग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं

भास्कराचार्य पुरस्कार योजना
हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए

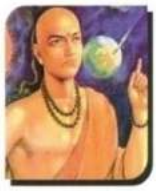

नागार्जुन पुरस्कार योजना
हिन्दी में तकनीकी लेख लिखने के लिए

निराला योजना
हिन्दी में व्याख्यान देने/ सत्र चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए

माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार
हिन्दी माध्यम के साथ कक्षा X/ XII/ डिग्री/ डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक अर्जित करने के लिए पुरस्कार

मैथिलीशरण पुरस्कार
कक्षा X / XII / डिग्री/ डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम/ द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी में सर्वोच्च अंक अर्जित करने के लिए पुरस्कार

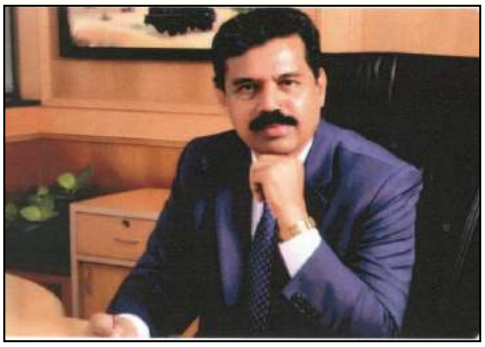

श्री शिवकुमारन के.एम.
निदेशक (मानव संसाधन)

संदेश

कोविड 19 के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए, इस महामारी से जुड़े खतरों के बारे में स्वयं को जागरूक रखना ज़रूरी है। एहतियात बरतते हुए हम इस वायरस की रोकथाम कर सकते हैं। परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प से हम इस जंग को भी जीत लेंगे। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें आगे वही बढ़े जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अनुपालन और अनुशासन के साथ-साथ साहस और धीरज का हाथ थामे रखा।

लॉकडाउन और उसके बाद जारी विभिन्न सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हमने राजभाषा कार्यान्वयन की गति कहीं भी धीमी नहीं होने दी । विभिन्न कार्यक्रम, प्रतियोगिताएँ, बैठकें, कार्यशालाएँ आदि ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए गए। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नवप्रभा का यह अंक कार्पोरेट राजभाषा द्वारा कार्यालय में ही डिज़ाइन कर प्रकाशित किया गया है। आप जानते हैं कि **नवप्रभा** का हर अंक विषय-विशिष्ट होता है। पिछला अंक आत्मनिर्भर भारत पर आधारित था जिसे बहुत पसंद किया गया। किसी भी देश और समाज की उन्नति उसकी शिक्षा पद्धति से तय होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह अंक हाल ही में तय की गई भारत की नई शिक्षा नीति पर आधारित है जिसे हमेशा की तरह, निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है।

पाठकों को उपयोगी और रोचक जानकारी देने के साथ-साथ चिंतन-मनन करने के मुद्दे भी उपलब्ध कराना **नवप्रभा** का एक उद्देश्य है। तो इस बारे में सोचें, विचारें और अपने सुझावों से हमें अवगत कराएँ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए इसमें रचनाओं, सामग्री का योगदान देने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

(शिवकुमारन के एम)

बीईएल के राजभाषा अधिकारीगण

श्रीनिवास राव
कार्पोरेट कार्यालय

एच एल गोपालकृष्णा
बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स

नवजोत पीटर
गाजियाबाद,
सीआर एल–गा.बाद

वी. सुरेश कुमार
हैदराबाद

बिमल मोहन सिंह रावत
नवी मुंबई, पुणे

श्यामलाल दास
चेन्नै

माधुरी रावत
कोटद्वार

भूपेन्द्र सिंह
पंचकूला

दिनेश उईके
मछिलिपट्नम

रजनी राव,
सीआरएल / पीडीआईसी, -बेंगलूर

श्री विक्रमन एन.
महाप्रबंधक (मा.सं.)

संदेश

नवप्रभा का 10वां अंक आपके सामने प्रस्तुत है। यह अंक भारत की नई शिक्षा नीति पर आधारित है और इसमें नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त करने वाले विविध लेख प्रकाशित किए गए हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति की सोच का पोषण करती है और उन्हें जीवन में सोचने, कार्य करने और आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यह लोगों के दिमाग को खोलती है और समझ, आगे बढ़ने और विकास करने की क्षमता प्रदान करती है।शिक्षाएकमात्र मूल्यवान संपत्ति है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। शिक्षा की इसी महत्ता को रेखांकित करते हुए यह विषय चुना गया है।

यह अंक पूरी तरह कार्पोरेट राजभाषा द्वारा कार्यालय में ही तैयार किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में साथ देने का अच्छा उदाहरण है। इसके लिए कार्पोरेट राजभाषा टीम बधाई की पात्र है। कंपनी के प्रमुख कारोबार के साथ-साथ राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी हम अपना बेहतरीन कार्य-निष्पादन करें और अपने संगठन को गौरवान्वित करें, यही हमारी आकांक्षा है।

पत्रिका के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों में मौलिक लेखन की रुचि बढ़ती है और उन्हें अपने विचारों को, अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने का मंच मिलता है। इस अंक में रचनाओं का योगदान देने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी साधुवाद के पात्र हैं । आपसे अनुरोध है कि इस पत्रिका को अधिक सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए अपना योगदान देते रहें।

आप सभी और आपके परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य की मंगलकामना के साथ...

विक्रमन एन

(विक्रमन एन)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उत्साहवर्धन करने वाली पुरस्कार योजनाएँ

केंद्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

- केंद्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक,
- लेख किसी भी सरकारी संस्था की पत्र-पत्रिकाओं में संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए,
- 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र (हिंदी भाषी) और ग क्षेत्र (हिंदीतर भाषी) में स्थित लेखकों के दो वर्गों के तहत पुरस्कार,
- हिंदी भाषी वर्ग में रु. 20,000/-, रु. 18,000/- और रु. 15,000/- और हिंदी तर भाषी वर्ग में रु. 25,000/-, रु. 22,000/- और रु. 20,000/- (क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय) का नकद पुरस्कार शील्ड और प्रमाण-पत्र भी,
- पुरस्कृत विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित किराया।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों / विभागों / उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह-पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना

- प्रत्येक भाषाई क्षेत्र क, ख और ग में दो-दो पुरस्कार, शील्ड और प्रमाण-पत्र
- पत्रिका में कम से कम 40 पृष्ठ
- वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 2 अंक प्रकाशित हों। विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड की गई ई-पत्रिका भी पात्र

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

- संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित पुस्तकें पात्र,
- केंद्र सरकार में सेवारत अधिकारी / कर्मचारी (सेवानिवृत्त कार्मिक सहित) पात्र,
- रु. 1,00,000/-, रु. 75,000/- और रु. 60,000/- (क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय) की नकद राशि, प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न।

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

- आधुनिक तकनीकी / विज्ञान की किसी भी विधा / समसामयिक विषय पर हो,
- भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है,
- रु. 2,00,000/-, रु. 1,25,000/- और रु. 75,000/- (क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय), प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिह्न,
- लेखक के साथ यदि सह-लेखक हो, तो भी स्वीकार्य,
- मौलिक रचना हो, अनूदित नहीं। पुस्तक में कम से कम 100 पृष्ठ हों। ISBN आवश्यक।

संपादकीय...

समंदर न सही एक नदी तो होनी चाहिए,
तेरे शहर में ज़िंदगी कहीं तो होनी चाहिए।

पूरा देश कोरोना की चपेट में है। इस महामारी की दूसरी लहर इतनी भयंकर और प्रचंड होगी, किसी ने नहीं सोचा था। साधनों, संसाधनों की कमी से हम अपने लोगों को तिल-तिल कर प्राण गंवाते देख रहे हैं। सभी बस यही दुआ कर रहे हैं कि हालात जल्द सुधरें और सामान्य बनें। वक्त ऐसा है कि छोटी सी अच्छी खबर भी सुकून दे जाती है। लेकिन चकनाचूर करने की जिद लिए बैठी हकीकत के लिए हर आंख कोई न कोई सुहाना सपना ढूंढ़ ही लेती है।

जीवन के बेहतरीन दिनों को जीने के लिए जीवन के कुछ बुरे दिनों का मज़बूती के साथ सामना करना ज़रूरी होता है। आज हम सब यही कर रहे हैं या कहें कि समय हमें नए तरीकों से जीना सिखा रहा है। कहते हैं एक दरवाजा बंद होते ही अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। इस कहावत को तकनीक ने सिद्ध कर दिखाया है। कार्यालयों में राजभाषा बैठकें, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान, प्रतियोगिताएँ आदि अब डिज़िटल मंच पर बदस्तूर किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमारे प्रकाशक ने इस अंक का समय पर प्रकाशन करने में असमर्थता जताई। लेकिन हम रुके नहीं, अपने कार्यालय में ही हमने इस अंक के प्रकाशन का पूरा काम किया। हम आगे भी इसी तरह तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का रथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मकान को घर बनाने के लिए हम जिस शिद्दत के साथ, दिल लगाकर काम करते हैं, उसी तरह हम आपकी अपनी पत्रिका नवप्रभा को उपयोगी और रोचक बनाने में बड़े चाव से अपना प्रयास करते हैं। पिछला अंक आत्मनिर्भर भारत पर था और यह अंक भारत की नई शिक्षा नीति पर आधारित है। हमने मूल विषय के विभिन्न उप-विषय पहले से तैयार कर साझा कर दिए थे ताकि नई शिक्षा नीति को अलग अलग पहलू से देखा जाए, उसकी सम्यक समीक्षा की जाए और लेख, रचनाएँ एक ही मूल विषय पर केंद्रित होकर न रह जाए।

पत्रिका में योगदान देने वाले सभी साथियों से आशा करता हूँ कि वे इसी तरह अपनी लेखनी और ज्ञान से पत्रिका को आभूषित करते रहेंगे। हमारा विनम्र प्रयास आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा।

माननीय सचिव (राजभाषा) महोदय का प्रेरणादायी संदेश...

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

डॉ. सुमित जैरथ
सचिव, राजभाषा विभाग,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। **वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/ बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।** तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुँचे तो पूरी संविधान सभा में सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा-हिंदी को और सरल, सहज, स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रतिदिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत""स्थानीय के लिए मुखर हों (Self-reliant India – Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नज़र आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी-

Democracy (लोकतंत्र)

Demand (माँग)

Demographic Dividend (जन सांख्यिकीय विभाजन)

Deregulation (अविनियमन)

Descent (उत्पत्ति)

Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने 12 "प्र" की रणनीति-रूपरेखा (Frame Work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है -

1. **प्रेरणा (Inspiration and Motivation)**

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2. **प्रोत्साहन (Encouragement)**

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

3. **प्रेम (Love and Affection)**

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है ।

4. **प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन

पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डाटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानी पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5. **प्रशिक्षण (Training)**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान – केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत- स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वदेशी NIC – Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6. **प्रयोग (Usage)**

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं' (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7. **प्रचार (Advocacy)**

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व-माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट-ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इस का अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है, इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8. **प्रसार (Transmission)**

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करें। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बॉलीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9. **प्रबंधन (Administration and Management)**

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच-बिंदु बनवाएँ और उपाय करें।

10. **प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)**

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11. **प्रतिबद्धता (Commitment)**

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplary Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है-

क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन) / प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12. <u>प्रयास (Efforts)</u>

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती हैं कि -

"लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।"

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियाँ (Necessary Conditions) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियाँ (Sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत - सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – संक्षिप्त परिचय

श्री आदेश पँवार
प्रबंधक, मिलिटरी रेडार्स, बी.जी.

नई शिक्षा नीति की शुरुआत हमारे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संगठन इसरो के प्रमुख डॉ कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई। इसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे आने वाले समय में स्कूल से कॉलेज स्तर की शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा हमारी शिक्षा नीति में बदलाव किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल के अनुसार स्कूल स्तर से हायर एजुकेशन में बहुत बदलाव किए गए हैं।

इस नीति के अंतर्गत नई शिक्षा नीति को चार चरणों में विभाजित किया गया है जो कि 5+3+3+4 पैटर्न है। नए पैटर्न में 12 साल की स्कूली शिक्षा शामिल की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण राजकीय तथा निजी दोनों संस्थानों को करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के चार चरण इस प्रकार हैं-

फाउंडेशन स्टेज - फाउंडेशन स्टेज को 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिसमें तीन साल की प्री स्कूली शिक्षा तथा दो साल की स्कूली शिक्षा शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अनुसार बच्चों की भाषा, कौशल और शिक्षण के विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रिप्रटरी स्टेज - इसके अंतर्गत 8 साल से 11 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इस स्टेज में बच्चों का संख्यात्मक कौशल और भाषा में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा और साथ ही इस स्टेज में बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा।

मिडिल स्टेज - इसके अनुसार इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सीखने का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ इंटरशिप भी प्रदान की जाएगी।

सेकेंडरी स्टेज- इस स्टेज के अनुसार इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। जिस तरह पहले बच्चे विज्ञान, वाणिज्य तथा कला विषय लिया करते थे। लेकिन अब यह ख़त्म कर दिया गया है अब बच्चे अपनी पसंद का विषय ले सकते हैं। जिससे बच्चे विज्ञान के साथ साथ वाणिज्य या वाणिज्य के साथ साथ कला भी ले सकते है। प्रत्येक विषय को अतिरिक्त पाठ्यक्रम की जगह सामान्य पाठ्यक्रम के रूप में ही देखा जाएगा जिसमें योग, खेल, नृत्य, मूर्ति कला, संगीत आदि शामिल हैं।

एनसीईआरटी की रूपरेखा के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं । शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत बीएड की अवधि को भी चार वर्ष कर दिया गया है।

इस नीति के अनुसार बाल भाषा विज्ञान के अंतर्गत पांचवीं तक के बच्चों को उनकी मात्र भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा जिससे वे अधिक आसानी से समझ पाएंगे। यदि पाठ्यपुस्तक क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध न हो तो बच्चे और शिक्षकों के बीच संवाद का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होगा।

इस नीति का कार्यान्वयन तय करेगा कि किस प्रकार भविष्य की पीढ़ी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगी। नीतियाँ साधारणतया अच्छी ही होती हैं लेकिन यदि कार्यान्वयन भी सही हो तो उन्नति की बहार बहने लगती है। आशा करता हूँ कि नई शिक्षा नीति बेहतर भविष्य की नींव रखने में कामयाब होगी।

वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर केंद्रित शिक्षा नीति

एच. हरिगुरु
कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी
(विकास एवं अभियांत्रिकी)
बीईएल, चेन्नै

क्या धन भारत को बदल देगा? नहीं न ! क्या आधुनिकीकरण भारत को रूपांतरित करेगा? नहीं न ! भारत को रूपांतरित करने वाली एकमात्र प्रणाली नई शिक्षा नीति भारत में शुरू की गई है। आज के छात्र कल के भारत के सर्वकालिक सुपर पावर हैं। इसलिए, भारत सरकार ने सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर, एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में योगदान देने वाली नई शिक्षा नीति की शुरुआत की है। नई शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह 1986 में 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्थानापित करेगी और इसका उद्देश्य भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है।

भारत की वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षाओं ने स्कूली शिक्षा में वर्तमान 10 + 2 से 5 + 3 + 3 + 4 की संरचनाओं को उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक होने का एक अद्भुत बदलाव लाने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह नीति कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने पर भी बहुत ज़ोर देती है और यह भी बताती है कि विज्ञान और कला के अकादमिक विषयों के साथ-साथ स्कूल में व्यावसायिक और नियमित दोनों पाठ्यक्रमों के बीच कोई बड़ा अंतर न हो। इसमें छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने पर जोर दिया गया है न कि छात्रों को कितना याद रहता है जैसे रटंत विद्या। उच्च शिक्षा स्तर के रूप में यह नीति श्री कस्तूरीरंगन, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित की गई है। नई शिक्षा नीति केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगी।

नई शिक्षा नीति के लाभ -

नई शिक्षा नीति 21 वीं सदी के भारत को मजबूत करने की नींव है। सरकार का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 की मदद से सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य आकर्षण बहु अनुशासनिक पाठ्यक्रम है। एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्प छात्रों को यह अध्ययन करने की अनुमति देगा कि वे क्या पढ़ना चाहते हैं और कितना पढ़ना चाहते हैं। छात्र कम उम्र से ही अपने वैज्ञानिक ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। छात्र जब चाहें कोर्स छोड़ भी सकते हैं।

छात्र अपने कौशल को फिर से विकसित कर सकते हैं। यह नीति छात्र को उस कौशल को सीखने की अनुमति देता है जिसमें वे रुचि रखते हैं। यह शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए मातृभाषा पर अधिक जोर देता है। इसमें कक्षा 6 से स्कूलों में दी जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा और साथ ही इंटर्नशिप भी शामिल होगी। यह नीति छात्रों को युवा उम्र से ही वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों की नई गुणवत्ता को स्थापित करना आसान बनाना है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा जो मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा। लगभग 2 करोड़ स्कूली छात्र इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में वापस आ सकेंगे।

3 साल की उम्र से ही शिक्षा शुरू करना इस संशोधित नीति में अनिवार्य स्कूली शिक्षा की आयु वर्ग को 6-14 वर्ष से 3-18 वर्ष तक बढ़ाती है। नई शिक्षा नीति 10 + 2 संरचना के अनुसार 5+3+3+4 संरचना द्वारा प्रतिस्थापित की गई है जो छात्र के सीखने के प्रारंभिक वर्षों पर केंद्रित होता है। यह 5+3+3+4 संरचना 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 तक की उम्र से मेल खाती है। 12 साल की स्कूली शिक्षा, 3 साल की आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग इस शिक्षा नीति में

शामिल हैं। 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए, बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा NCERT द्वारा बनाया और विकसित किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय संस्थापक संख्या और साक्षरता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने को है। इसके अनेक गुणों में से एक भारत में राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति का गठन करना है। उपयुक्त अधिकारी श्रेणी 3, 5 और 8 के लिए स्कूल परीक्षा आयोजित करेंगे। श्रेणी 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी, लेकिन नीति का उद्देश्य समग्र विकास के साथ संरचना को फिर से एक रूप देना है।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के एकल अतिव्यापी निकाय पर ज़ोर दिया गया है। स्नातक की डिग्री की अवधि 3 या 4 साल की होगी। छात्रों को इस अवधि के भीतर कई बार उन्हें बाहर जाने के विकल्प भी दिए जाएंगे। इस नीति के तहत कॉलेज एक छात्र को एक प्रमाण पत्र देगा यदि वह 1 वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ता है या यदि वह व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में 2 वर्ष का अध्ययन करने के उपरांत कॉलेज छोड़ता है तो एक डिप्लोमा, या 3 साल का कार्यक्रम पूरा करता है तो उसे स्नातक की डिग्री कॉलेज प्रदान करेगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, भारत के हर राज्य और जिले में विशेष दिन के समय का बोर्डिंग स्कूल `बाल भवन' स्थापित किया जाना है। इस बोर्डिंग स्कूल का उपयोग खेलने, कैरियर, कला से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी के लिए किया जाएगा। इसके अनुसार, एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रहीत किया जा सकता है और जब अंतिम डिग्री पूरी हो जाती है, तो उन्हें गिना जा सकता है।नई शिक्षा नीति के अनुसार, देश में आई.आई.टी.और आई.आई.एम.के साथ बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। यह नीति कॉलेजों को स्वायत्तता भी प्रदान करती है। इसके अनुसार शिक्षण के व्यवसाय में शामिल होने के लिए चार वर्षीय बी.एड. डिग्री आवश्यक है।

किसी देश की शिक्षा प्रणाली उसके आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह नीति बहुभाषावाद, शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देती हैऔर संचार, सहयोग, टीमवर्क और दृढ़ता जैसे जीवन कौशल प्रदान करती है। जब अनुसंधान और नवीनता काफी मजबूत होंगे तभी हम इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में प्रगति कर पाएंगे। भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई नई शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार होंगे। इसे गुणवत्ता संस्थानों के निर्माण की प्रक्रिया और दृष्टि से सही समय पर लाया गया है जो सभी छात्रों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से नवाचार की संस्कृति, अत्यधिक कुशल कार्यबल प्रदान करेगा और जो निश्चित रूप से पूरी दुनिया में भारतमाता को एक ऊंचा दर्जा प्रदान करेगा।

रोमन संख्या 1 से 100 तक

1: I	21: XXI	41: XLI	61: LXI	81: LXXXI
2: II	**22: XXII**	**42: XLII**	**62: LXII**	**82: LXXXII**
3: III	**23: XXIII**	**43: XLIII**	**63: LXIII**	**83: LXXXIII**
4: IV	**24: XXIV**	**44: XLIV**	**64: LXIV**	**84: LXXXIV**
5: V	**25: XXV**	**45: XLV**	**65: LXV**	**85: LXXXV**
6: VI	**26: XXVI**	**46: XLVI**	**66: LXVI**	**86: LXXXVI**
7: VII	**27: XXVII**	**47: XLVII**	**67: LXVII**	**87: LXXXVII**
8: VIII	**28: XXVIII**	**48: XLVIII**	**68: LXVIII**	**88: LXXXVIII**
9: IX	**29: XXIX**	**49: XLIX**	**69: LXIX**	**89: LXXXIX**
10: X	**30: XXX**	**50: L**	**70: LXX**	**90: XC**
11: XI	**31: XXXI**	**51: LI**	**71: LXXI**	**91: XCI**
12: XII	**32: XXXII**	**52: LII**	**72: LXXII**	**92: XCII**
13: XIII	**33: XXXIII**	**53: LIII**	**73: LXXIII**	**93: XCIII**
14: XIV	**34: XXXIV**	**54: LIV**	**74: LXXIV**	**94: XCIV**
15: XV	**35: XXXV**	**55: LV**	**75: LXXV**	**95: XCV**
16: XVI	**36: XXXVI**	**56: LVI**	**76: LXXVI**	**96: XCVI**
17: XVII	**37: XXXVII**	**57: LVII**	**77: LXXVII**	**97: XCVII**
18: XVIII	**38: XXXVIII**	**58: LVIII**	**78: LXXVIII**	**98: XCVIII**
19: XIX	**39: XXXIX**	**59: LIX**	**79: LXXIX**	**99: XCIX**
20: XX	**40: XL**	**60: LX**	**80: LXXX**	**100: C**

नव भारत निर्माण का आधार - शिक्षा

विनोद कुमार
सी.आर.एल./ गा.बाद

नई शिक्षा नीति, नए भारत के निर्माण की तरफ उठाया गया एक काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। हमें बदलते वक्त के साथ अपनी व्यवस्थाओं में भी बदलाव लाना चाहिए। इस शिक्षा नीति से बाल अवस्था से ही बच्चों में अपने आसपास के माहौल की संरचना के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकेगी, और हम जानते हैं कि जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है।

पुरानी शिक्षा नीति में अगर कोई बच्चा विज्ञान का छात्र है और वह समाजशास्त्र का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो वह नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उसके पास वह विकल्प ही नहीं था। शिक्षा नीति की ये जड़ता हमारी सामाजिक संरचना को अन्दर से खोखला कर रही थी। पन्द्रह और सोलह साल के बच्चों से यह अपेक्षा रखना कि वे अपनी इस उम्र में ये निर्णय लें कि उनकी जिज्ञासा विज्ञान की, समाजशास्त्र की, या किसी और अन्य विषय की ओर है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है।

नई शिक्षा नीति हमें ये अवसर प्रदान करती है कि अगर कोई छात्र भौतिकी के साथ इतिहास और इतिहास के साथ कोई अन्य विषय पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है और फिर अपने अनुभव के अनुसार ये फैसला ले सकता है कि वह अल्बर्ट आइंस्टीन के राहों पर चलना चाहता है या हीरो डोट्स की राहों पर चलना चाहता है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में वह अपनी पहचान बनाना चाहता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये बदलाव नई शिक्षा नीति की "आत्मा" है।

नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चे तीन वर्ष की आयु से ही स्कूल जाएँगे और स्कूल में भी उन्हें घर जैसा माहौल मिलेगा, जिससे उन्हें स्कूल जाना एक बोझ नहीं लगेगा बल्कि वे स्कूल से प्यार करने लगेंगे क्योंकि तीन वर्ष की आयु से छः वर्ष की आयु तक वह स्कूल में सिर्फ खेलेगा और उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा तक उसकी कोई परीक्षा नही होंगी। पुरानी शिक्षा नीति में बच्चों को स्कूल जाना बोझ लगता था क्योंकि वे छः वर्ष की आयु से स्कूल जाते थे और उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और उनकी परीक्षा भी शुरू हो जाती थी। इससे उनके ऊपर दबाव बन जाता था, फिर वह स्कूल से नफरत करने लग जाता था। "परीक्षा का दबाव उसकी उम्र के अनुसार सही नहीं था"। कक्षा तीसरी से लेकर पांचवीं तक के बच्चों के पास दो भाषाओं के विकल्प होंगे या तो वे अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढाई कर सकते हैं, जिससे वे अपनी संस्कृति से अच्छी तरह जुड़ सकेंगे। छठीं कक्षा से आठवीं कक्षा के बच्चे गणित, विज्ञान और समाज शास्त्र के अलावा व्यावसायिक विषय (सिलाई, बढ़ई, माली आदि) की भी पढ़ाई कर सकतें हैं। इससे बच्चों को शुरु से ही प्रायोगिक ज्ञान मिलेगा और इस तरह भारत की सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी की है, कम होगी। कक्षा नवमीं से बारहवीं तक कोई शाखा चयन नहीं करनी होगी यानी बच्चे कोई भी शाखा से कोई भी विषय चयन कर सकते हैं और कोई भी एक विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। कक्षा नवमीं से बारहवीं तक बच्चों को छमाही परीक्षा ही देनी होगी, इससे बच्चों को पाठ्यक्रम की तैयारी करने में सुविधा होगी और उन्हें परीक्षा देने में आसानी होगी। अब स्नातक में भी कोई शाखा नहीं होंगी। अगर कोई एक वर्ष भी स्नातक की पढ़ाई पूरा करता है और परीक्षा देता है, तो उसे स्नातक प्रमाण-पत्र मिलेगा। अगर कोई दो साल पूरा करता है और परीक्षा देता है तो उसे स्नातक डिप्लोमा प्रमाण-पत्र मिलेगा। लेकिन पुरानी शिक्षा नीति में स्नातक करने के लिए तीन साल पूरी करनी होती थी। अगर कोई बच्चा दो साल पढ़ कर, किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे कोई प्रमाण-पत्र नहीं मिलता था, और कुछ दिन बाद अगर वह फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहे तो फिर से उसे तीन साल पढ़ना पड़ता, लेकिन नई शिक्षा नीति में कोई भी छात्र स्नातक में अपनी पढ़ाई शुरु कर सकता है जहां से वह अपनी पढ़ाई स्थगित किया था।

अतः इस प्रकार हम पातें हैं कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता का सार्वांगीण विकास होगा और वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बन के उभरेगा।

सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का महत्व और नई नीति

ऋतु लाम्बा
कार्पोरेट कार्यालय

प्राचीन शिक्षा पद्धति

वेदों, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्मसूत्र की शिक्षा प्राचीन पद्धति की शिक्षाएं थी। प्राचीन भारत में समाज में प्रचलित संस्कृति से शिक्षा पद्धति अत्यधिक प्रभावित थी। प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। इसने विश्व के सभी लोगों को आकर्षित किया और भारतीय शिक्षा ग्रहण करने हेतु दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से कई लोग आए। प्राचीन भारतीय शिक्षा को वैदिक शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास था।

भारत में शिक्षा की परंपरा सभ्यता के इतिहास जितनी पुरानी है। हालाँकि, मूल विचारधाराओं की तुलना में इस पद्धति में परिवर्तन सुस्त रहा। वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्रमिक और अभूतपूर्व परिवर्तन देखा गया है।

औपनिवेशिक युग की शिक्षा पद्धति

लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन दिनांक 03.02.1882 में किया और सर विलियम हंटर को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह हंटर आयोग 1882 के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा के विषय पर विशेष ध्यान देने के लिए, उस समय सरकार ने आयोग को निर्देश दिया था। तदनुसार, आयोग ने मूल्यपरक शिक्षा पर ध्यान देते हुए प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न सिफारिशों का सुझाव दिया। इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित सिफारिशों को अनुमोदित किया गया था –

- प्राथमिक शिक्षा को जनता की शिक्षा माना जाना चाहिए।
- शिक्षा लोगों को आत्म-निर्भरता के लिए प्रशिक्षित करने में सक्षम होनी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा होनी चाहिए।
- पाठ्यक्रम में कृषि, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान के तत्व, अंकगणित, माप और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की मूल विधि जैसे उपयोगी विषय शामिल होने चाहिए।
- आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए।
- सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- पाठशाला में निर्धारित छात्र का शुल्क उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर होनी चाहिए।

इसी प्रकार हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पर भी महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। माध्यमिक शिक्षा पर हंटर आयोग की प्रमुख सिफारिशें कुछ इस तरह है –

- सिफारिशों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया –
  (क) प्रशासनिक सुधार, और (ख) गुणात्मक सुधार

- माध्यमिक शिक्षा पर प्रशासनिक जिम्मेदारी को कुशल और शिक्षित लोगों को सौंपा जाना चाहिए।
- माध्यमिक चरण में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में रहना चाहिए।
- माध्यमिक विद्यालयों का शुल्क सरकारी स्कूलों में लगने वाले शुल्क से काफी कम होना चाहिए।
- शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की।
- आयोग, जिला और नगरपालिका मंडल द्वारा पूंजी को बनाए रखने के पक्ष में था जो विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों की रखरखाव के लिए बनाया गया था।

माध्यमिक शिक्षा में हंटर आयोग की सिफारिश का प्रभाव-

- माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
- माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निजी उद्यमों को प्रोत्साहन का आदेश दिया गया।
- वाणिज्यिक और गैर साहित्यिक की शुरूआत के लिए सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त थे।

वर्तमान शैक्षिक पद्धति

भारत में वर्तमान शैक्षिक पद्धति में कई परिवर्तन हुए। वर्तमान शैक्षिक पद्धति एक लंबे समय तक होने वाले परिवर्तनों और संशोधनों का परिणाम है।

आज़ाद भारत की शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति

औपनिवेशिक युग की शिक्षा पद्धति आजादी के बाद के दो दशकों तक बनी रही। 1968 में, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति लाई और कोठारी आयोग (1964-1966) की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण और अधिक से अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए शिक्षा पद्धति के कट्टरपंथी पुनर्गठन का प्रस्ताव किया।

भारत की शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति

1986 में, शिक्षा की दूसरी राष्ट्रीय नीति श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई थी। नई नीति ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए "विषमताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसर को समान करने पर विशेष जोर" पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक एकीकरण के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण उपाय किए गए जैसे छात्रवृत्ति नीतियां, वयस्क शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की मांग।

1986 से 2020 तक

हमारी शिक्षा पद्धति अभी भी तथ्यों की समीक्षा के आधार पर परीक्षा-केंद्रित है। अक्सर एक छात्र को बढ़ावा देने के लिए एकमात्र मापदंड केवल उन अंकों पर तय किया गया था जो उसने अंतिम परीक्षा में अंक हासिल किए थे। लेकिन हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां अच्छे छात्र परीक्षा के "परीक्षा के दिन" अच्छा नहीं कर सकते हैं।

जो छात्र परीक्षा में अच्छा करते थे और अच्छे अंक प्राप्त करते थे, उन्हें होशियार माना जाता था। जो छात्र उत्तर नहीं दे सकते थे और परीक्षा में निष्पक्ष थे उन्हें औसत माना गया था। तो, मूल रूप से अंक सफलता का प्रतीक थे।

यहाँ एक बड़ा अंतर जिसे दूर करने की आवश्यकता है वह नए युग के सन्दर्भ में भारत में शिक्षा पद्धति का सुधार है। जिसे ध्यान में रखते हुए भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई।

संशोधित कार्यक्रम (1992)-बिना बोझ के सीखना

संशोधित कार्यक्रम में शिक्षा समानता का प्रस्ताव रखा गया। इसने उच्च प्राथमिक स्तर तक अपने आवृत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक अधिक व्यापक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर भविष्य में नियुक्तियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना, शैक्षिक रूप से वंचित और काम करने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना और ज्यादा से ज्यादा पाठशालों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना है ।

भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति

तीसरी और सबसे नई शिक्षा नीति की घोषणा सरकार ने 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व इसरो (ISRO) प्रमुख डॉ. के. कस्तूरीरंगन की समिति द्वारा 31 मई, 2019 को प्रस्तुत मसौदे पर आधारित है। यह शिक्षा पर चौबीस वर्षीय राष्ट्रीय नीति (एनपीई), 1986 को बदलने के लिए 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- विषयों को चुनने में नम्यता।
- इन नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन छात्र को अपनी मातृभाषा के उत्थान पर जोर देते हुए ज्ञान की खोज में लचीले होने की छूट दी गई है।
- यह, बच्चों के बौद्धिक विकास के आधार पर छात्रों के लिए शिक्षा को उन्नत करने के लिए 5 + 3 + 3 + 4 पद्धति की रूपरेखा में 10 + 2 पद्धति से पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का संशोधन का भी सुझाव देता है।
- स्कूल की परीक्षा केवल तीन स्तरों के लिए आयोजित की जाती है – कक्षा 3, 5 और 8 के लिए। यह छात्रों को उच्च-क्रम सोच कौशल, वैचारिक स्पष्टता और महत्वपूर्ण सोच के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सभी छात्रों को दिए गए वर्ष के दौरान दो बोर्ड परीक्षा (एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो सुधार के लिए पूरक परीक्षा) लेने की अनुमति दी जाएगी।
- उच्च शिक्षा के लिए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को 2022 से वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा आयोजित करनी है।
- 6 वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा का परिचय।
- एकल प्रवेश परीक्षा।
- अपने शैक्षणिक प्रदर्शन और क्रेडिट की मदद से छात्र अंतराल की अवधि के बाद भी आसानी से अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा को याद किए गए तथ्यों के बजाय छात्र की मुख्य योग्यता का परीक्षण करना आसान बनाया जाएगा।
- डिजिटल शिक्षा अभियान।
- व्यावहारिक ज्ञान को महत्व।

नई शिक्षा नीति में कई फायदे और लाभ हैं, जिन्हें उचित व्यवसाय परामर्श सत्र के साथ समझाया जा सकता है। शिक्षा नीति के मामले में भारत को वैश्विक मानकों तक पहुँचने का प्रयास करना है ताकि छात्रों को अधिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिले और वे स्पष्ट निर्णय ले सकें। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के समावेश के साथ संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

भारत की नई शिक्षा नीति की खूबियाँ

हनी शर्मा,
बीईएल कार्पोरेट कार्यालय

"शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे है"

शिक्षा का महत्व मनुष्य के जीवन में वैसा ही है जैसे मछली के लिए पानी का , पक्षियों के लिए आकाश का और दिये के लिए उसकी बाती का। जिस प्रकार एक मछली बिन पानी के जीवित नहीं रह सकती, पक्षी बिन आकाश के उड़ नहीं सकते और दिया बिन बाती के रोशनी नहीं दे सकती वैसे ही बिन शिक्षा के मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा की अगर बात करें तो केवल किताबों के ज्ञान को शिक्षा नहीं कह सकते। हमारे निजी जीवन की नैतिकता एवं आदर्शवादी जीवन के मूल्यों को अपने जीवन में उतारना भी शिक्षा का ही अभूतपूर्व अंग है। शिक्षा वो नदी है जो निरंतर बहती रहती है और निरंतर बहकर समाज एवं उसमें रहने वाले प्राणियों को उनके अधिकारों का बोध कराती है, कर्तव्यों से अवगत करती है एवं दोनों में परस्पर समन्वय बनाती है। शिक्षा एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ती है। किसी के द्वारा अर्जित ज्ञान को दूसरे में शिक्षा ही बांटती है।

किसी भी क्षेत्र में समय-समय पर परिवर्तन आना स्वभाविक है। परिवर्तन प्रकति का अटूट अंग है। शिक्षा के क्षेत्र में भी समय-समय पर कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा शुरु की गई नई शिक्षा नीति के तहत काफी महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। हम हमारी नई शिक्षा नीति की खूबियों को संक्षेप में निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं –

1. बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा – सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के लिए पहले की समय सीमा 6 से 14 वर्ष को बदलकर 3 से 18 वर्ष करना लाखों बच्चों के जीवन में हुए शिक्षा के अभाव को पूरा करेगा। इस बदलाव से उन क्षेत्रों को काफी फायदा होगा जहां बच्चों को शिक्षा के लिए संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस बदलाव से उनके शिक्षा के अधिकार को प्रारंभिक आयु में ही उनको दिया जा सकता है।
2. अध्यापकों की समय-समय पर नियुक्ति एवं अध्यापकों की पदोन्नति आयु के साथ-साथ कुशलता के आधार पर करने से अध्यापकों में नई ऊर्जा का संचार होगा और वो पहले से अधिक कार्यकुशलता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे।
3. अध्यापक बनने के लिए बी.एड. या इसके समान शिक्षा की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किए जाने से उन छात्रों को अपना विषय का गहन अध्ययन करने में मदद मिलेगी जो अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं।
4. छात्रों को निजी जीवन से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान नई शिक्षा नीति में किया गया है जिसके तहत वो कुछ समय अवधि के लिए अपनी विषय वस्तु से संबंधित पेशेवरों के पास जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।
5. क्षेत्रीय भाषा को कक्षा 5 तक अनिवार्य किया जाना। ये एक अति महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम हमारी सरकार द्वारा उठाया गया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अपने क्षेत्रों की भाषा का भी गहन अध्ययन कर पाएंगे जिससे हिंदी के साथ-साथ भारत की विभिन्न भाषाओं का भी विकास होगा।

6. नई शिक्षा नीति के तहत कुछ स्कूलों को निजी– सरकारी स्वामित्व के तहत खोला जाएगा जिससे स्कूलों में सामान्य सुविधाओं का अभाव न हो और छात्र सुविधाजनक रूप से अध्ययन कर पाएँ।

7 5+3+3+4 के तहत छात्रों की कुशलता को अलग अलग स्तर पर परखा जाएगा जिससे उनकी कमियों को शीघ्र दूर किया जा सकेगा और वे अपने विषय का लंबे समय तक अध्ययन कर पाएंगे।

8. कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

9. छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण की व्यवस्था सरकार ने उच्च स्तर पर की है ताकि किसी भी छात्र को धन के अभाव में अपनी शिक्षा न छोड़नी पड़े।

10. सरकरी स्कूलों को पहले से अधिक सशक्त बनाया जाएगा ताकि जो लोग निजी विद्यालय का खर्चा नहीं उठा सकते उनके बच्चे भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

11. छात्रों द्वारा अगर किसी प्रोग्राम (अध्ययन के लिए) के अंतर्गत प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ा जाता है तो उन्हें उतने समय के लिए जितने समय तक उसने उसे प्रोग्राम को पूर्ण किया है, का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था हमारी शिक्षा नीति में नहीं थी। यह सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

12. प्रशिक्षण शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने से छात्रों को संबंधित विषय का अध्ययन करने में मदद मिलेगी।

13. खेल कार्यक्रमों को शिक्षा नीति में जोड़े जाने से खेल भावना को बल मिलेगा क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही अच्छे मस्तिष्क का निर्माण होता है और खेलों से एक अच्छे शरीर का विकास होता है।

इनके अलावा और भी अनेक बदलाव हमारी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत लाए गए हैं जिससे शिक्षा के स्तर को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सके और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा हथियार है जिससे बिना हथियार उठाए समाज एवं देश की बुराइयों का अंत किया जा सकता है। किसी महान पुरुष ने कहा है –

"जो शिक्षा के दरवाजे खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद करता है"

जिंदगी – एक अद्भुत परिश्रम

दीपिका रेवणकर मंजुनाथ
उप अभियंता, पी.डी.आई.सी.

हिम्मत है तो आगे बढ़,
कठिनाइयों के चट्टानों पर चढ़।
मुश्किलें होंगी अपार,
लेकिन करना है इस भव सागर का पार।

बड़ा कार्य, सोचना है आसान,
लेकिन इसे हासिल करना है वक्त का ज्ञान।
डर कर पग हटाना है बुरा,
क्योंकि यह नहीं है जिंदगी का सिरा।

बातें करने वाले बहुत मिलेंगे,
निंदा करने वाले बहुत हँसेंगे।
बना ले इन निंदाओं और कटु वचनों को एक औज़ार,
जिससे पूरे होंगे तेरे सपने अपार।

अपनी मंज़िल को पाना आसान नहीं,
लेकिन खुद पर हो भरोसा, तो मंज़िल दूर नहीं।
जो कठिनाइयों की चट्टानों को पार लगाएगा,
वही कहलाएगा अपनी जिंदगी का सिकंदर शहज़ादा।

नवीन भारत की नूतन शिक्षा पद्धति

कविता पटेल, बी.जी

युगों – युगों से भारत को विश्व गुरु माना गया है। दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली हमारे देश की शिक्षा पद्धति पाश्चात्य संस्कृति से भिन्न है। जहाँ प्रश्नों के उत्तर मन से बाहर नहीं खोजे जाते बल्कि मन की गहराइयों से प्राप्त होते हैं। हम जानकारी और ज्ञान में अंतर जानते हैं। शायद यही कारण है कि हम शिक्षा के नाम पर किसी कौशल में महारत प्राप्त करने के स्थान पर ज्ञान द्वारा कौशलों की गहराइयों को समझ कर को उनका नवीन सृजन करते हैं। यह न केवल हमारी बुद्धि के तर्कात्मक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि रचनात्मक विकास में भी सहायक है। यह ज्ञान के भिन्न-भिन्न आयामों की अथाह गहराइयों को जानने में भी मददगार है। इसलिए भारत में प्राचीन काल से ही गुरुजन अपने आश्रम में शिष्यों को न केवल ज्ञान देते थे बल्कि वे उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। समय बदल गया है, शिक्षा के मायने और मापदंड भी बदल गए हैं।

भारत बहुत समय तक गुलाम रहा। उस दौरान अंग्रेजों ने हमारी शिक्षण पद्धति में बहुत परिवर्तन लाए । भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली लॉर्ड थॉमस बेकिंगटन मकाले द्वारा 1830 में लाई गई थी। उन्होंने दर्शन शास्त्र और आध्यात्म विज्ञान के स्थान पर आधुनिक विषयों को स्थान दिया। पहले विद्यार्थी प्रकृति के साथ प्रकृति से सीखता था। धीरे-धीरे शिक्षा एक कमरे यानि क्लास रूम में सीमित हो गई।

शिक्षा मंत्रालय

भारत में शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख यानि शिक्षा मंत्री भारत सरकार के अंतर्गत एक केबिनेट मंत्री होते हैं। इस मंत्रालय को दो भागों में विभाजित किया गया है –

1. विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग (Dept of SE & L) – इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकंडरी की शिखा आती है।
2. उच्च शिक्षा विभाग (Dept of HE) – इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कॉलरशिप आदि आती है।

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता

विद्यालय शिक्षा की दिशा में 1921 में उत्तर प्रदेश में उच्च विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड स्थापित हुआ। कुछ समय बाद अन्य राज्यों में भी बोर्ड स्थापित किए गए। परंतु 1952 में बोर्डों के संगठन को संशोधित कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) का नया नाम दिया गया। इस बोर्ड के अंतर्गत दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र आया करते थे। और यह बोर्ड इनके पाठ्यक्रम, किताबों और परीक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करता था। आज इस बोर्ड के अंतर्गत केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी लगभग हजारों विद्यालय आया करते हैं।

सेंट्रल एड्वाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीएबीई), भारत में शिक्षा नीति और कार्यक्रमों के विकास और निगरानी का कार्य करता है। एक राष्ट्रीय संगठन जो नीतियों के विकास में मुख्य भूमिका अदा करता है, वह है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआईरटी) जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढाँचा बनाता है। प्रत्येक राज्य में इसके समकक्ष एक स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) होता है। ये संस्थाएं राज्य के शिक्षा विभागों की शिक्षा रणनीति, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजनाओं की क्रियाविधि सुनिश्चित करती हैं। एससीईआरटी सामान्यत: एनसीईआईरटी के दिशा-निर्देशों का पालन करती है परंतु राज्य को अपनी शिक्षा प्रणाली का अनुपालन करने की भी स्वतंत्रता होती है।

भारत में विद्यालय शिक्षा हेतु तीन तरह के शिक्षा बोर्ड हैं-

1. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई)
2. इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईसीएसई)
3. स्टेट स्कूल (एससीईआरटी)

इनके अलावा कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो विदेशों के पाठ्यक्रम जैसे सीनियर केंब्रिज का पालन करते हैं और कुछ सामान्य रटने की शिक्षा पद्धति से अलग सीखने और व्यावहारिक मोंटेसरी प्रकार की पद्धतियों पर आधारित हैं।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा की ज़िम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की है जो उच्च शिक्षा के विकास, फंड निर्धारित करवाने और भारत में मान्यता देने का कार्य करती है। यूजीसी द्वारा नेशनल एक्रीडीशन और एसेसमेंट काउंसिल (एनएएसी) की स्थापना की गई है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को A++ से C तक की रैंकिंग दिया करती है।

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखने के लिए और नए कॉलेजों को विनियमित करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेकनिकल एजुकेशन (एआईसीटीई) की स्थापना की गई। सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी (एआईयू) के सदस्य होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से संस्थान जैसे केंद्रीय, राज्य, ओपन और डीम्ड विश्वविद्यालय आते हैं। यूजीसी की तरह एआईसीटीई ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडीशन की स्थापना तकनीकी कॉलेजों की मान्यता और रैंकिंग देने के लिए की है।

शिक्षा नीति

स्वतंत्र होने के बाद 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। इसी तरह 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई जिसमें 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए। वर्तमान में 2020 में तीसरी शिक्षा नीति बनाई गई है।

द्वितीय शिक्षा नीति

पूर्व शिक्षा प्रणाली को 10 + 2 कहा जाता था जिसमें चार स्तर थे-

निम्न प्राथमिक	6-10 वर्ष	5 कक्षाएँ	क्लास I से V	10
उच्च प्राथमिक	11-12 वर्ष	3 कक्षाएँ	क्लास VI से VIII	
उच्च	13-15 वर्ष	2 कक्षाएँ	क्लास IX से X	
उच्चतर माध्यमिक	17-18 वर्ष	2 कक्षाएँ	क्लास XI से XII	2

नई तृतीय शिक्षा नीति

वर्तमान शिक्षा नीति के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं -

1. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना,
2. शिक्षा की विश्वसनीयता और
3. अनुपालन में आने वाली असंगतियों को दूर करना।

इस नीति के साथ तीन प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं-

1. मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
2. सरकार ने शिक्षा पर खर्च होने वाली जीडीपी को 1.6 % से 6.9 % तक बढ़ाने की घोषणा की है।
3. यह सुनिश्चित किया गया है कि 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेट 50% तक बढ़ाई जाएगी।

वर्तमान शिक्षा नीति के प्रमुख परिवर्तन

- अब 10 + 2 का अकादमिक संरचना को 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। जो कि विकसित देशों में भी बहुत सफल रही है। 10 + 2 में शिक्षा 6 वर्ष की आयु से शुरू होती थी अब नई प्रणाली में शिक्षा 3 वर्ष की आयु से शुरू होगी।

3-8 वर्ष	5 कक्षाएँ	प्री स्कूल क्लास I से II	5
9-11 वर्ष	3 कक्षाएँ	क्लास III से V	3
12-14 वर्ष	3 कक्षाएँ	क्लास VI से VII	3
15-18 वर्ष	4 कक्षाएँ	क्लास IX से XII	4

- अब प्री स्कूल इसका हिस्सा माना गया है। प्लेस्कूल के बच्चे इसमें शामिल हैं जो तीन साल का होता है।
- इसमें दो कक्षाएं कक्षा पहली और दूसरीआती हैं।
- कक्षा 3 से 5 को प्रारंभिक स्टेज माना गया है जिसमें खेलने, खोजने और प्रयोगों द्वारा कक्षाओं में सिखाया जाएगा।
- कक्षा 6 से कक्षा 8 (मिडल स्टेज) – यहाँ अपने अनुभवों द्वारा बच्चे सीखेंगे। विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान पर इंटर्नशिप या जॉब की वोकेशनल ट्रेनिंग होगी। 10 दिन की बैगलेस अवधि होगी जिसमें कार्पेंटरी, वैल्डिंग और गार्डनिंग जैसी जॉब और बाद में रुचि अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही कोडिंग भी सिखायी जाएगी।
- कक्षा 9 से 12 में कई विषयों का अध्ययन करवाया जाएगा और कक्षा 11-12 में बोर्ड परीक्षा के महत्त्व को कम किया जाएगा।
- पहले विद्यार्थियों को कक्षा 10 के बाद तीन स्ट्रीम्स(विषयों) में बाँट दिया जाता था।
- विज्ञान, वाणिज्य (कॉमर्स) और कला। एक स्ट्रीम का विद्यार्थी दूसरी स्ट्रीम के विषय नहीं पढ़ सकता था। किंतु अब यह बदल गया है। विद्यार्थी विज्ञान के विषयों के साथ साथ वाणिज्य और कला के विषयों का चयन भी कर सकता है।
- 360° फीडबैक - रिपोर्ट कार्ड का शिक्षकों के अलावा स्वमूल्यांकन और अन्य सहपाठियों का मूल्यांकन किया जाएगा। सोच-समझ के विस्तार की कोशिश की जाएगी। अपने निर्णयों का मूल्यांकन कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरों के दृष्टिकोण से देखना सिखाया जाएगा।
- रटकर पढ़ने के पुराने तरीके को हटाया जाएगा।
- कक्षा 12 के बाद मल्टीपल एंट्री एक्ज़िट (multiple entry-exit) कार्यक्रम होगा। मान लीजिए कि एक वर्ष तक इंजीनियरिंग कर लेने के बाद यदि विद्यार्थी कुछ और पढ़ना चाहता है तो उसे उस वर्ष के क्रेडिट मिल जाएंगे और दूसरी डिग्री में ट्रान्सफर हो जाएंगे। साथ ही यदि 4 वर्ष की डिग्री है तो एक वर्ष के बाद ड्रॉप आउट करने पर विद्यार्थी को सर्टीफिकेट मिलेगा, दो वर्ष के बाद ड्रॉप आउट करने पर डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल के बाद बेचलर्स डिग्री मिलेगी और चौथे साल के बाद बेचलर्स डिग्री मास्टर मिलेगी। एमए, एमएससी के कोर्स एक ही साल के होंगे अगर आपने चार साल की डिग्री की है और 2 साल के होंगे अगर आपने 3 साल की डिग्री की है। 100 विदेशी कॉलेज को देश में अपने केंपस स्थापित करने की अनुमति दी गई है। वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान देते हुए अगले 10 सालों में चरणबद्ध तरीके से इसका अनुपालन किया जाएगा। 2022 तक शिक्षकों के लिए एक कॉमन नैशनल प्रोफेशनल स्टेंडर्ड बनाया जाएगा और 2030 तक शिक्षक बनने की योग्यता 4 साल की एकीकृत बीए डिग्री होगी।
- इसमें अकादमिक, व्यावसायिक और पाठ्येत्तर गतिविधियों का समावेश है। विद्यार्थी अपनी रुचि के क्षेत्र में अपने कौशल का विकास कर सकते हैं।

शिक्षा प्रणाली की यदि बात करें तो वास्तव में यह इस पर निर्भर करता है कि किसी देश में शिक्षा के क्या मायने हैं। क्या वे शिक्षा को मात्र पढ़ने – लिखने और डिग्री प्राप्त करना मानते हैं या रोजगार प्राप्त करने का साधन या इससे भी व्यापक अर्थ ज्ञान प्राप्त करना।

आज जब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है कि बच्चों को बचपन से कोडिंग सिखा कर नए-नए एप बनाने पर ज़ोर डाला जाता है, तब किसी ने सही कहा है कि बच्चे हैं उद्यम या एंटरप्राइस नहीं। ये बीज हैं उन्हें पनपने और फलने-फूलने का मौका दिया जाना चाहिए। भारत की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य धन कमाना नहीं अपितु बालक को एक श्रेष्ठ मानव बनाना है।

अमित कुमार, बी.जी.

नई शिक्षा नीति और मेरा नजरिया

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति को काफी मशक्कत के बाद कई नामी गिरामी लोगों से सलाह मशविरा करके बनाया गया है। जैसे ही इसे आम जनता के बीच लाया गया, सभी के मन में नए नए विचार आने लगे, कोई इसे इस सरकार के लिए मील का पत्थर बता रहा था कोई इसे सरकार की असफलता बता रहा था। जितने मुँह उतनी बातें। मैंने भी अपने विचार इसमें रखे हैं और कोशिश की है कि इसे सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए को ही आपके सामने प्रस्तुत करूँ। इस शिक्षा नीति के आने से **मानव संसाधन मंत्रालय** का नाम बदलकर पुनः **शिक्षा मंत्रालय** बना दिया। इससे मेरे दिमाग में यह संदेश गया कि सरकार पुरानी शिक्षा नीति को नए रंगरूप में प्रस्तुत करने जा रही है।

नई शिक्षा नीति को लाने लिए पहले टीएसआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में जिस बोर्ड का गठन किया गया था उसने जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की वह सरकार को पसंद नहीं आई और फिर सरकार के द्वारा वरिष्ठ शिक्षाविद् और जेएनयू के पूर्व चांसलर के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन किया गया जिसने अपना मसौदा आम जनता के सामने प्रस्तुत किया और सभी से अपनी प्रतिपुष्टि मांगी। इसी के आधार पर इसमें सुझावों को जोड़ा गया और इस प्रकार हमारे सामने एक नई शिक्षा नीति प्रस्तुत हो गई।

अगर हम भविष्य की बात करें और सोचें कि जिस हिसाब से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उससे कुछ ही वर्षों में देश में पढे लिखे युवा बेरोजगारों की बाढ़ सी आ जाएगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आज हमें अपनी शिक्षा पद्धति के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किस प्रकार से नई शिक्षा नीति कुशल युवाओं को तैयार करने में मदद करेगी। ताकि हम स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ें और मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ाएँ। आज समाज को रोजगार परक शिक्षा की जरूरत है जिससे बेरोजगारों की तैयार होती फौज को कम किया जा सके। इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है और नई शिक्षा नीति में इसे जोड़ा है। मुझे खुशी है कि सरकार के इस कदम के दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे।

चूँकि मेरी शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई है, अतः मुझे पता है कि सरकारों में अगर शिक्षा को आगे बढ़ाने की मंशा हो तो वह सब कुछ किया जा सकता है जो आम जनता को चाहिए। पिछली सरकारों ने वर्ष 1986 में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की और गाँव के गरीब बच्चों को वो शिक्षा देने की कोशिश की जिसकी कल्पना शायद वे कभी नहीं कर सकते थे। इन विद्यालयों में सरकार ने 80% सीटें गाँव के बच्चों के लिए आरक्षित कीं और आज आप देखिए कि भारत में ही नहीं, विश्व के हर कोने में नवोदय के बच्चे अपनी सफलता की कहानियाँ लिख रहे हैं। इन विद्यालयों का परिणाम भी हमेशा अच्छा रहता है जो CBSE के अन्य विद्यालयों के लिए चुनौती बना हुआ है।

क्या वर्तमान सरकार इस प्रकार के और विद्यालय नहीं बना सकती ? ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जो सरकार को रोकती हैं कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा से दूर रहें। वर्तमान की नई शिक्षा नीति इस बारे में मौन है।

नई शिक्षा नीति में मुझे अच्छा लगा कि सरकार ने मातृभाषा के बारे में ध्यान दिया है। लेकिन वह यह कहने से बचे हैं कि राजभाषा हिंदी को सभी राज्यों के लिए कक्षा 5 के बाद एक जरूरी विषय बना दिया जाए। इससे हो सकता है यह

विवादित विषय बन जाता। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अङ्ग्रेज़ी के पीछे भागना छोड़ दें और सभी प्रकार की परीक्षाओं में मातृभाषा को ही प्रमुखता दें। इससे हमारी भाषाओं के विकास में मजबूती मिलेगी और उनका व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा। इसे इस शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है।

एक और समस्या है कि भारत में जितने राज्य हैं सभी के अपने अपने बोर्ड हैं। क्यूँ न इस शिक्षा नीति में सभी राज्य बोर्डों को समाप्त कर एक ही बोर्ड बना दिया जाए। जिससे सभी छात्र एक ही छत के नीचे आ जाएँ और सभी प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं में एक ही समान प्रतियोगिता कर सकें। आज के समय में अलग राज्यों के अपने बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अलावा भी कई और हैं। इन्हें समाप्त करके एक ही बोर्ड बना दिया जाए और राज्य स्वतंत्र हो इस बोर्ड की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करने के लिए। जब तक हम इस प्रकार के राष्ट्रीयकरण की ओर नहीं बढ़ेंगे, हम सभी को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने में असमर्थ रहेंगे। आज हम देखते हैं कि आईआईटी का सिलेबस अलग है, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों का सिलेबस अलग है, एनआईटी कॉलेजों का अलग है, स्वतंत्र विश्वविद्यालयों का अलग है, क्या इतना भेदभाव जरूरी है ? क्या केंद्र सरकार सभी के लिए एक जैसी शिक्षा पद्धति नहीं ला सकती है। इस शिक्षा नीति में इस बारे में भी कहीं नहीं सोचा गया है।

यह देखने में आया है कि भारत में एनसीसी, एनएसएस के प्रशिक्षण प्रारंभिक कक्षाओं से शुरू हो जाते हैं और छात्र इनमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें इसका कोई ज्यादा फायदा देखने में नहीं मिलता जब तक कि आप किसी सरकारी नौकरी में नहीं जाते। आज सरकार वैसे भी सरकारी नौकरी समाप्त करने में लगी है जिससे यह होगा कि एनसीसी और एनएसएस में छात्रों का जाना भी कम हो जाएगा। मेरा मानना है कि सरकार देश के हर युवाओं को कम से कम एक साल देश सेवा करने का मौका अवश्य दे। इसके बिना उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता, लोन, नौकरी न दी जाए। इसे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना दिया जाए। इसे एक कोर्स की तरह बना दिया जाए। सरकार को बस खाना और यूनिफार्म देना होगा। जब सभी युवा देश के लिए काम करेंगे तो उन्हें देश की समस्याओं के बारे में पता चलेगा और देश भक्ति की भावना भी विकसित होगी। इस प्रकार की योजना का नई शिक्षा नीति में अभाव है।

नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिसिप्लनरी एजुकेशन की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान के साथ-साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी दसवीं-बारहवीं बोर्ड और ग्रेजुएशन में चुन सकता है। उच्च शिक्षा सचिव ने कहा कि कई छात्र ऐसे होते हैं जो विज्ञान के विषयों में रूचि के साथ-साथ संगीत या कला भी पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए यह काफी फायदेमंद होगा। मैं आशा करता हूँ कि नई शिक्षा नीति नए समाज की नींव रखने में कामयाब होगी और हमें नए अवसर प्रदान करेगी।

अंतरिक्ष में मानव यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

- अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान – यूरी गागरिन
- सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश – रूस
- अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग – लाईका
- अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला – वेलेन्टीना तेरेश्कोवा
- अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय – राकेश शर्मा
- चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान – नील आर्मस्टॉन्ग
- चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश – अमेरिका
- मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश – अमेरिका
- भारत का प्रथम चालक रहित विमान – लक्ष्य
- चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान – लूना - 10

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित शिक्षा पद्धति

संजय गुप्ता, आई.एस./सी.ओ

29 जुलाई 2020 को हमारी केंद्रीय सरकार ने एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। वर्ष 1986 के 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों ही स्तरों में बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले विद्यार्थियों का विकास का आकलन अंकों के माध्यम से होता था लेकिन नई शिक्षा नीति में अंकों के साथ साथ और भी अनेक पैमानों पर ध्यान दिया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास होगा।

नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं –

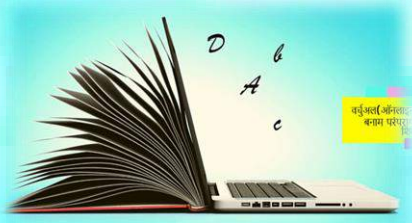

- अगर किसी विद्यार्थी की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में ही छूट जाती है तो उसकी पढ़ाई के पिछले साल बेकार नहीं होंगे। नई शिक्षा नीति के आने के बाद अब से एक वर्ष की पढ़ाई में सर्टिफिकेट और दो वर्ष की पढ़ाई में डिप्लोमा दिया जाएगा।
- अब पीएचडी करने के लिए एम.फिल करने की जरूरत नहीं है।
- कॉलेज को स्वायत्तता दी जाएगी एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता को खत्म किया जाएगा और इसी के साथ यूजीसी (UGC), एनसीटीई (NCTE) और एआईसीटीई (AICTE) को खत्म किया जाएगा।
- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रैन्स एग्जाम कराएगी।
- केंद्रीय विश्वविधालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय सभी के लिए एक जैसे नियम होंगे। इसके साथ साथ फीस नियंत्रण के लिए भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा।
- बच्चों का तनाव कम करने के लिए पांचवी कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में होगी। लेकिन इसकी वजह से अंग्रेजी भाषा की तरफ बच्चों का ध्यान कम होगा जो कि पांचवी कक्षा की बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय रहेगा।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैम्पस खोलने की अनुमति मिलेगी। इससे बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी।
- अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरए) विकसित किया जाएगा।
- छटवीं कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे एवं कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा संगीत और कला को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- निजी और सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान नियम बनाए जाएंगे।
- वर्चुअल लैब को बढ़ावा दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आठ क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स को लाया जाएगा।
- परीक्षा केवल 3,5 और 8वीं कक्षा में ही आयोजित की जाएगी।
- बोर्ड परीक्षा को साल में दो बार आयोजित किया जाएगा, जिससे प्रत्येक बच्चे को दो मौका मिल सके।
- पुस्तक शिक्षा की बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- सामान्य बातचीत, समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति, विद्यार्थी के साथ साथ देश के विकास को भी ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। नीति में कई सकारात्मक विशेषताएं हैं। नई शिक्षा नीति सम्पूर्ण विकास की तरफ हमें ले जाएगी और भारत देश को समृद्ध बनाएगी।

अभिनव पहल - नई शिक्षा नीति

पूर्णिमा एन/ बेंगलूरु कॉमप्लेक्स

शिक्षा क्या है? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, सीखना और सिखाना परंतु 'शिक्षा' का व्यापक अर्थ है – वह सीख जिससे मनुष्य का सभी क्षेत्रों में विकास हो और निरंतर होता रहे।

वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान शिक्षा नीति की कमियों का अध्ययन करने के बाद 'नई शिक्षा नीति 2020'(राष्ट्रीय शिक्षा नीति) डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इसके साथ मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। नई शिक्षा नीति द्वारा देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार हो सकते हैं।

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी राज्य सरकार के सहयोग से जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 6% तथा सकल नामांकन अनुपात 100% का लक्ष्य रखा गया है।

नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिन्दु -

- नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। 5 वर्षों तक आधारभूत अवस्था, 3 वर्षों तक तैयार की अवस्था, 3 वर्षों का मध्य चरण (कक्षा 6, 7, 8), 4 वर्षों तक माध्यमिक चरण (कक्षा 10, 11, 12) का प्रावधान है।
- नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक मातृभाषा का अध्ययन के माध्यम के रुप में और कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प होगा।
- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को नियमित रूप से खेलकूद, मार्शल आर्ट, योग, नृत्य जैसे कई क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने का उद्देश्य है।
- नई शिक्षा नीति में कला और विज्ञान, शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर के बीच बहुत अंतर नहीं होगा।
- कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप भी शामिल की जाएगी।
- कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा, बहुविकल्प प्रारूप और सेमेस्टरों का सुझाव है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, मानक निर्धारक निकाय "परख" – राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना होगी।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन का निर्णय कृत्रिम बुद्धिमत्ता साफ्टवेयर पर आधारित है।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक National Professional Standard for Teacher (NPST) का विकास किया जाएगा और NCERT के परामर्श के अनुसार National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE) का विकास भी होगा।
- शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री और 4 वर्ष का बी.एड होना आवश्यक है।
- नई शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए नियमित रूप से शिक्षा में भागीदारी और उन्हें सक्षम बनाया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा को महत्व दिया गया है।

- नई शिक्षा नीति में लड़कियों और उभयलिंगी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु Gender Inclusion Fund की स्थापना होगी।

शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए, गुणवत्ता एवं अनुसंधान को बढाने के लिए, और छात्रों के सामाजिक, भौतिक, शारीरिक विकास – ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव लाने हेतु नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री मोदीजी द्वारा सभी के परामर्श से तैयार किया गया है।

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और उनको बेहतर बनाने का सुझाव है क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में बलिष्ठ बनाती है।नई शिक्षा नीति बच्चों को स्कूली उम्र से ही उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगी।

मानव शरीर से संबंधित सामान्य जानकारी

1. सर्वदाता रक्तग्रूप – O
2. सर्वग्राही रक्तग्रूप – AB
3. आर.एच. फैक्टर संबंधित है – रक्त से
4. आर.एच. फैक्टर के खोजकर्ता – लैंड स्टीनर एवं विनर
5. रक्त को शुद्ध करता है – वृक्क (Kidney)
6. वृक्क का भार होता है – 150 ग्राम
7. रक्त एक विलयन है – क्षारीय
8. रक्त का pH मान होता है – 7.4
9. हृदय की धड़कन का नियंत्रक है – पेसमेकर
10. शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है – शिरा
11. हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाना वाली रक्तवाहिनी कहलाती है – धमनी
12. जराविक-7 है - कृत्रिम हृदय
13. शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन – रक्त द्वारा
14. सबसे छोटी अस्थि – स्टेपिज़ (मध्य कर्ण में)
15. सबसे बड़ी अस्थि – फिमर (जंघा में)
16. सबसे लंबी पेशी – सर्टोरियास
17. सबसे बड़ी ग्रंथि – यकृत
18. सर्वाधिक पुनरुद्भावन की क्षमता – यकृत में
19. सबसे कम पुनरुद्भावन की क्षमता – मस्तिष्क में
20. शरीर का सबसे कठोर भाग – दांत का इनेमल
21. सबसे बड़ी लार ग्रंथि – पैरोटिड ग्रंथि
22. सबसे छोटी WBC – लिम्फोसाइट
23. सबसे बड़ी WBC – मोनोसाइट
24. सबसे बड़ी शिरा – एन्फिरियर
25. RBC का जीवन काल – 120 दिन
26. रुधिर का थक्का बनाने का समय – 2-5 दिन

शिक्षा का नया आयाम नई शिक्षा नीति (एनईपी)

श्री. प्रहर्ष दीप सिंह,
पीडीआईसी

नई शिक्षा नीति (एनईपी) का उद्देश्य प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करना है। एनईपी-2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के स्थान पर एक नए समावेशी ढाचें के रूप में जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अधिक सुदृढ़ शिक्षा उपलब्ध कराने के मापदंडों पर केंद्रित है। यह अधिकांशत: प्रमुख कमियों को दूर करता है और मेरे अनुसार यह हमारी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

जैसा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को लाभ पहुंचाना है ताकि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खोए, उसी प्रकार एनईपी-2020 का लक्ष्य स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात है। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।

पिछले कई वर्षों में किए गए कई सरकारी और गैर-सरकारी सर्वेक्षणों ने भारत में ज्ञानार्जन संकट की अनिश्चित स्थिति का संकेत दिया था। हालाँकि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा एक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) के बाद सच्ची तस्वीर सामने आई, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समर्थन दिया है। निष्कर्षों के अनुसार 12 राज्यों के छात्रों ने गणित की क्षमता में राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे स्कोर किया। NAS शिक्षा को भारतीय शिक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती मानता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 'एनईपी का मूल सिद्धांत कक्षा III द्वारा सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देना है, जिसे सरकार 2025 तक प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा नीति में किए गए बदलाव -

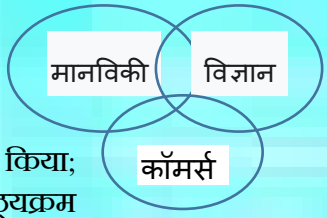

1. कक्षा 10 के बाद, भारतीय शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को 3 धाराओं में बाँधने का प्रयास किया; विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य। इसी कारण से एक धारा के छात्रों को स्कूल पाठ्यक्रम के भाग के रूप में अन्य धाराओं से विषयों का अध्ययन करने में समस्याएं आती हैं। लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे को ठीक करने की पहल की है और छात्रों को इच्छानुसार अपने विषयों को चुनने का अवसर प्रदान किया है। इसके लागू होने से, एक छात्र इतिहास के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकता है, अर्थात, उन्हें अपने विषयों को चुनने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

विश्व के कुछ सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों जैसे MIT में बहुत सशक्त मानविकी विभाग है। सिविल इंजीनियर का मामला ले लीजिए। यह जानने से कि बांध कैसे बनाया जाता है, समस्या पूर्णतः हल नहीं होती है। इस मामले में बांध बनाने के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को जानना आवश्यक है। आजकल कई इंजीनियर उद्यमी बन रहे हैं। क्या उन्हें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए? बहुत अधिक कारक आज इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी चीज़ में जाते हैं जिन्हें जानने के लिए भिन्न विषयों में निपुणता आवश्यक है। यही तर्क अन्य क्षेत्रों के लिए भी मान्य है।

2. दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि शिक्षा प्रणाली को अब 10 + 2 प्रणाली से बदलकर 5 + 3 + 3 + 4 कर दिया गया है। यह पश्चिमी देशों से प्रेरित बदलाव माना जा सकता है। पहले औपचारिक शिक्षा 6 साल की उम्र से शुरू होती थी। अब यह 3 साल की उम्र से शुरू होगी। तीन साल तक यह पूर्वस्कूली या आंगनवाड़ी शिक्षा होगी, फिर 2 साल, कक्षा 1 और 2 के लिए होंगे। 8 साल की उम्र में, छात्र एक प्रारंभिक चरण से गुजरता है, जहां वह खेल, अनुसंधान और गतिविधि आधारित और इंटरैक्टिव कक्षा सीखने के द्वारा सीख सकता है। फिर, कक्षा 3 से 8वीं को मध्य चरण कहा जाएगा, जहां पर ध्यान केंद्रित अनुभवात्मक अधिगम जैसे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी पर होगा। जिसके बाद छात्र माध्यमिक चरण में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक आगे बढ़ेगा। यहां वे बहु-विषयक विषय सीख सकते हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण सोच, क्षमता, और लचीलापन प्रदान करेगा। सबसे

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्र उन विषयों को चुन सकेंगे जिन्हें वे मौजूदा प्रणाली के अनुसार पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण मार्ग का पालन करने के बजाय वास्तव में रुचि रखते हैं।

शिक्षा प्रणाली में उल्लिखित तीन धाराओं के लिए रोज़गार हैं। परन्तु ऐसे कई रोज़गार हैं जो एक धारा से संबंधित नहीं हैं। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारतीय समाज में बढ़ई, प्लंबर, नर्स आदि जैसी नौकरियों को छोटे कार्यों के नजरिया से देखा जाता है। मुझे अभी भी अपने पिता का यह कहा याद है कि 'यदि मैं अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करूँगा, तो मुझे कारपेंटर, या प्लम्बर बनना होगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विषम कार्य करना होगा। लेकिन पश्चिमी देशों में इन नौकरियों का समान रूप से सम्मान किया जाता है, क्योंकि उन्हें कुशल रोजगार के रूप में समान रचनात्मकता और जुनून की आवश्यकता होती है और लोग इस तथ्य की सराहना करतेहैं।

भारत में, इन नौकरियों को तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है, इस मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। सरकार ने इस मानसिकता को बदलने के लिए कई संरचनात्मक परिवर्तन लागू किए हैं, जो प्रशंसनीय है। उदाहरण के लिए, कक्षा 6वीं से, छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण नौकरियों में इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षण के लिए 10-दिवसीय बैग के बिना अवधि निर्धारित की जाएगी। साथ ही कक्षा 6वीं से छात्रों को कोडिंग सिखाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा का महत्व कम किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए, परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी-वैकल्पिक और वर्णनात्मक। उन्हें वर्ष में दो बार आयोजित किये जाने की योजना है। उन्हें रटंत विद्या के बजाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बढ़ावा देना चाहिए।

3. एक और उल्लेखनीय और दिलचस्प नीतिगत बदलाव स्कोर कार्ड से संबंधित है जो छात्रों को स्कूली शिक्षा के एक पूरे वर्ष पूरा करने के बाद मिलता है। अभी तक, शिक्षक यह आंकलन करते हैं कि छात्र ने पूरे वर्ष में कैसा प्रदर्शन किया है। अब न केवल शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, बल्कि छात्र खुद का मूल्यांकन भी करेंगे। केवल आत्म-मूल्यांकन ही नहीं, छात्र का मूल्यांकन बाकी सहपाठियों के दृष्टिकोण के अनुसार भी किया जाएगा। मुझे लगता है कि आलोचनात्मक सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आत्म-मूल्यांकन है। जैसा कि एक कहावत है – स्वयं से बेहतर आपको कोई और नहीं जानता। ऐसा करने से एक छात्र अपने निर्णयों का अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने की आदत बना सकेगा। यह जीवन का एक महान अनुभव है, क्योंकि स्कूली जीवन और कॉलेज का जीवन समाप्त होने के बाद, हमारे प्रदर्शन के बारे में हमें बताने वाला कोई नहीं होता है। हम अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर अपने स्वयं के प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार हैं। यह बहुत उपयोगी है कि यह सोच छात्रों को प्रारंभिक जीवन से ही प्रदान की जाये और यह भी समझाया जाए कि कैसे स्वयं का मूल्यांकन किया जाए और दूसरों के मूल्यांकन के दृष्टिकोण को भी समझें।

4. एक बड़ी समस्या जो हमारे सिस्टम के साथ मौजूद रही है, वह यह है कि यह व्यावहारिक और रचनात्मक विचारों के बजाय रटकर सीखने को प्रोत्साहित करती है। हमें अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए चीजों को याद रखना आवश्यक है। इस तरह के दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि छात्र परीक्षा के कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सीखते हैं उसे भूल जाते हैं। सरकार ने उल्लेख किया है कि परीक्षाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उन्हें बहुत रटकर सीखने या याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. बीईएल के एक सफल कंपनी होने के प्रमुख कारणों में इसके अनुसंधान और विकास पर किए जाने वाले खर्च को इसके बेहतर होने के स्तंभों में देखा जा सकता है। हम अपनी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनुसंधान और विकास पर खर्च करते हैं और यही कारण है कि हम अपने ग्राहकों द्वारा आवश्यक नवीनतम और आधुनिक प्रणालियों को विकसित करने में सक्षम हैं। यह एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी उचित है। सरकार ने शिक्षा पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% खर्च करने का फैसला किया है। अभी तक, यह प्रतिशत लगभग 3% है। यह एक बहुत ही सराहनीय लक्ष्य है और यह हमारे देश के युवा दिमाग को पोषण देने में मदद करेगा।

6. कक्षा 12वीं के बाद छात्रों के लिए एक मल्टी इंटर- एक्सिट प्रोगाम की योजना है । उदाहरण के तौर पर, यदि आपने बीएससी की डिग्री के लिए नामांकन किया है और अगर 1 वर्ष के बाद आपको यह महसूस होता है कि यह आपके रूचि का विषय नहीं है या आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो आप इसे बीच में ही छोड़ सकते हैं। उन सभी विषयों के क्रेडिट जो आपने एक वर्ष के लिए अध्ययन किए हैं, उन्हें किसी अन्य डिग्री में स्थानांतरित किया जा सकेगा। यह एक प्रक्रिया है जो पहले से ही कई देशों में मौजूद

है, और यह एक बढ़िया विकल्प है जो भारतीयों को भी मदद करेगा। 4 साल के बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (बी.टेक) कोर्स के लिए यदि कोई छात्र 1 साल के बाद उसे छोड़ना चाहता है, तो उसे एक प्रमाण-पत्र मिलेगा; यदि वह 2 वर्ष के बाद छोड़ देता है, तो उसे डिप्लोमा प्राप्त होगा; अगर वह 3 साल के बाद छोड़ता है, तो उसे स्नातक की डिग्री मिल जाएगी; और अगर वह पूरे 4 साल का कोर्स पूर्ण करते हैं, तो उन्हें स्नातक की डिग्री मिलेगी एमए और एमएससी पाठ्यक्रम चार साल की स्नातक की डिग्री वाले लोगों के लिए एक साल और तीन साल की डिग्री वाले लोगों के लिए दो साल तक चलेगा। एक और उल्लेखनीय बदलाव यह है कि शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के भीतर अपने परिसरों को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी वर्तमान में उन्हें सहयोगी ट्रेनिंग कार्यक्रमों में प्रवेश करने, भागीदारी संस्थानों के साथ संकाय साझा करने और दूरस्थ शिक्षा की पेशकश करने तक सीमित है।

7. व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने कहा है कि अगले दस वर्षों में इसे चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। यह लक्ष्य किया जा रहा है कि 2025 तकस्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% शिक्षार्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की होगी। 2022 तक सभी शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पेशेवर मानक निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, 2030 तक शिक्षक बनने के लिए चार साल की एकीकृत बीए डिग्री न्यूनतम योग्यता होगी।

एनईपी केवल एक व्यापक दिशा प्रदान करता है और इसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है (केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं), प्रस्तावित सुधार केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लागू किए जा सकते हैं। यह तुरंत नहीं होगा। संपूर्ण सरकार ने पूरी नीति को लागू करने के लिए 2040 का लक्ष्य रखा है। 1968 एनईपी फंड की कमी से प्रभावित था, इसलिए पर्याप्त फंड भी महत्वपूर्ण हैं।

सरकार की योजना है कि एनईपी के प्रत्येक पहलू के लिए कार्यान्वयन योजनाओं को विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रासंगिक मंत्रालयों के सदस्यों के साथ विषय-वार समितियों की स्थापना की जाए। इस योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, स्कूल बोर्ड, एनसीईआरटी, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सहित कई निकायों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सूचीबद्ध किया जाएगा। नियत लक्ष्यों के समक्ष प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षा के बाद नियोजन किया जाएगा। कहते हैं समय के साथ बदलना अच्छा होता ताकि हम समय की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिला सकें। इस दिशा में सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए बदलाव बेशक शिक्षा नीति को एक बेहतर और उज्ज्वल दिशा प्रदान करेगी और हमारे देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को दूरदर्शी और अति विकसित शिक्षा का लाभ पहुंचाएगी।

पतझड़ और चुनाव

नवीन लोहचब
बीईएल, पीडीआईसी

देखो-देखो पतझड़ और चुनाव का मौसम आया,
तपती गर्मी ने पेड़ों को है झुलसाया,
और बड़े-बड़े वादों ने नए सपनों को जगाया।
चारों तरफ सूखे पत्तों की हवा है चल रही,
गरीबों की चाँद पर जाने की उम्मीदें हैं बंध रही।
महामारी ने देश की प्रगति को है रुकवाया,
और चुनाव की रैलियों ने एक नया उत्साह जगाया।
दुश्मन भी नेताओं की दहाड़ से घबराया,
देखो-देखो पतझड़ और चुनाव का मौसम आया।
तपते सूरज ने तालाबों को सुखाया,
कोरोना ने बड़े बड़ों को है झुकाया।
वेंटिलेटर ने लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाया,
देश की वैक्सिन ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया।
चुनाव ने सरकारों के तापमान को बढ़ाया,
गरम हवाओं के बवंडर ने कोहराम मचाया।
देखो-देखो पतझड़ और चुनाव का मौसम आया।

नई शिक्षा नीति- सकारात्मक पहलू और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

डॉ. रहिला राज के एम
कार्पोरेट कार्यालय

किसी भी देश में कुछ नई बदलाव करना हो, तो उसकी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए । भारत में स्वतंत्रता के बाद तीन शिक्षा नीतियाँ बना चुकी है । सबसे पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई है। दिनांक 29 जुलाई, 2020 को शिक्षा नीति 2020 की मंज़ूरी प्रदान की गई थी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जून, 2017 में डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को कस्तूरीरंगन समिति के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मई 2019 में केंद्र सरकार को दी गई थी और केंद्र सरकार ने 2020 में मंजूरी प्रदान की। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंज़ूरी दी गई है। इसका मकसद शिक्षा और सीखने में पुनः ध्यान आकर्षित करना है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के समग्र विकास के लिए छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत रूप में विकसित करना है।

शिक्षा नीति 2020 शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण तीनों में परिवर्तन लाने वाले हैं । सबसे पहले स्कूली शिक्षा में हुए बदलाव पर प्रकाश डालती हूँ। नई शिक्षा नीति में 10 + 2 के फार्मेट को पूरी तरह खत्म किया गया है। अब यह 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है। कक्षा 6 से ही पेशेवर और कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही रोज़गार हासिल करने के लायक बनाना है। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्री भाषा ही होगी। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई माध्यमिक स्तर से होगी यानी 9वीं कक्षा से बच्चे विदेशी भाषा ले सकेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का मौका दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय के रूप में जाने जाएंगे। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों को चलाने का विकल्प होगा। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थान बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच आदि उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक पहलू

नई शिक्षा नीति में ऐसी शिक्षा नीति तैयार करने पर ज़ोर दिया गया जो विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योग में जनशक्ति की कमी को पूरा कर सके। इसके तहत शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य मिलकर जीडीपी का 6% खर्च करने का प्रावधान किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पहले जो 6 से 14 था, अब 6 से 18 वर्ष तक लागू होगा। शिक्षा में खेल, गतिविधियाँ, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य आदि पर ज़ोर दिया जाएगा । नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ना है।

इस नीति में लचीले पाठ्यक्रम के साथ व्यापक-आधारित, बहु-विषयक, समग्र स्नातक शिक्षा की परिकल्पना, विषयों का रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण और उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ कई प्रवेश और निकास बिंदु शामिल हैं।भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (आईएचईसी) की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में की जाएगी।नीति का और एक लक्ष्य है 100% युवा और वयस्क को साक्षरता हासिल करना ।नई शिक्षा नीति छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान को महत्व देगी।

नई शिक्षा नीति की चुनौतियाँ

भारतीय नई शिक्षा नीति के माध्यम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का प्रयास अपने-आप में एक सराहनीय कार्य है, लेकिन इसको लागू करने में सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को भी सामना करना पडेगा। पांचवी तक का स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाना आसान कार्य नहीं दिख रहा है। मान लीजिए कोई प्राथमिक का बच्चा कर्नाटक में रहता है जहां कन्नड़ स्थानीय भाषा है।वो किसी कारणवश कर्नाटक को छोड़कर केरल पहुंच जाता है जहाँ स्थानीय भाषा मलयालम है। तो इसमें शिक्षा के माध्यम में किस प्रकार का सामंजस्य होगा? सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का प्रावधान किया है। वह वर्तमान के दुगुने से भी ज्यादा है। सामान्यतः शिक्षा का बजट काफी कम रखा जाता है। शिक्षा पर आवंटित बजट का कुल पैसा भी खर्च करने में सरकार असमर्थ रहती है। पिछले पाँच वर्षों से शिक्षा का पूरी बजट का खर्च नहीं किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 6% का जीडीपी लगाने की घोषणा पहले भी हो चुकी है लेकिन एक बार भी प्रायोगिक नहीं हो पाया। और एक चुनौती है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित। यह उल्लेखनीय बात है कि भारत के बहुत कम शिक्षण-संस्थान को ही विश्व रैंकिंग में शीर्ष-200 में जगह मिलती है ।

भारत सरकार ने 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है गुणतापूर्ण शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल देना। इसके तहत पाठ्यक्रम कम करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इस नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का प्रयोग पर ज़ोर दिया जाएगा।

नई शिक्षा नीति सरकार की एक क्रांतिकारी निर्णय है, जो भविष्य में बच्चों को बहुत लाभदायी साबित होगी । इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की संभावना है। हम आशा कर सकते हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से नव भारत का निर्माण होगा।

नई शिक्षा नीति

देश का यही एक सपना,
शिक्षा का ढाँचा नया हो अपना।
नई शिक्षा नीति का है यह वादा,
शैक्षिक गुणता हो ज्यादा।
तेजी का या मंदी का हो दौर,
पकड़ेंगे नई शिक्षा नीति की डोर।
लेकर कोडिंग प्रक्रिया का आधार,
लाएँगे शिक्षा पद्धति में सुधार।
नई शिक्षा नीति का मुख्य आधार,
कम हो शिक्षा व्यय का भार
नई शिक्षा नीति में है यह प्रावधान,
प्रवेश समस्या का होगा समाधान।
जहा रहेगी नई शिक्षा नीति,
वहां रहेगी शिक्षा गुणता की थाति।

हेमंत विलास माताड़े, पुणे

सा विद्या या विमुक्तये

राजन शर्मा,
गाज़ियाबाद यूनिट

यह छोटा सा वाक्य ज्ञान के महत्व को दर्शाने का एक प्रयास भर है यानी ज्ञान वह है जो मुक्त कर दे। ज्ञान एक राष्ट्र की आत्मा होता है तथा उसकी गरिमा और गौरव की पराकाष्ठा होता है। ज्ञान के बिना राष्ट्र अपनी सभ्यता से वंचित हो जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। एक शिक्षित समाज राष्ट्र के सुखद वर्तमान एवं उज्ज्वल भविष्य को गढ़ता है तथा उसकी सभ्यता का मूलाधार होता है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे हम अपना तथा समाज का भला कर समाज को नई राह दिखने का कार्य कर सकते हैं।

ज्ञान के इसी महत्व को समझते हुए भारत ने शिक्षा को सदा ही सर्वोपरि रखा है। सामाजिक तथा राजनीतिक बदलावों ने जहां हमारी शिक्षा नीति को नए आयाम दिए हैं तो वहीं ज्ञान के माध्यम से समाज में अनेक बदलाव भी हुए हैं। यही कारण है कि ज्ञान भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन गया है।

भारत की शिक्षा पद्धति अनंतकाल से हमारी सभ्यता का मार्गदर्शन करती आ रही है। प्राचीन-काल में गुरुकुल तथा गुरु-शिष्य परंपरा के माध्यम से वैदिक शिक्षा का आदान-प्रदान होता था। विद्यार्थी अपने गुरु के साथ उनके आश्रम में निवास करते थे तथा वेद, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, गणित, खगोलशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन करते थे। उस काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था तथा बौद्ध एवं जैन धर्म जैसी अनेक विचारधाराओं का भारत में उद्गम हुआ। उस काल के प्रमुख विद्वानों में चाणक्य, भरत मुनि, आर्यभट्ट, लोपमुद्रा, गार्गी आदि विश्वविख्यात हैं।

प्राचीन-काल में जो उच्च स्तर शिक्षा को मिला था वह मध्यकाल में हो रही सामाजिक एवं राजनीतिक उथल-पुथल एवं अस्थिरता के कारण गिर गया। भारतीय समाज अपने स्वर्णिम युग से पतन की ओर अग्रसर हो गया तथा सामाजिक बुराइयों ने अपने पैर पसार लिए। इस्लामिक शासकों के समय आई राजनीतिक स्थिरता से शिक्षा को स्थिरता मिली। मध्यकाल में कई प्रख्यात मदरसों, मकतबों तथा पीठों की स्थापना हुई जिनसे शिक्षा का स्तर ऊपर उठा। किंतु शिक्षा सामाजिक बुराइयों को हटाने एवं स्त्रियों के स्तर को उठाने में असफल हुई।

आधुनिक काल में भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश शासकों की नीतियों का सर्वव्यापी प्रभाव पड़ा। 1835 ई० में लॉर्ड मैकॉले द्वारा सुझाई गई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत में अंग्रेज़ी तथा पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस नई शिक्षा नीति ने भारतीय समाज में फैली बुराइयों पर कुठराघात किया और हमें विश्व में हो रहे बदलावों से अवगत कराया। पाश्चात्य शिक्षा ने स्त्रियों का स्थान समाज में उठाने में बहुत सहायता की तथा भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक काल के प्रमुख विद्वान जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, पंडिता रामाबाई, जगदीश चन्द्र बसु, सी वी रमन आदि ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया और समाज को नई दिशा प्रदान की।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति को राष्ट्र-निर्माण तथा समाज कल्याण के लिए समर्पित किया। नई शिक्षा नीति ने स्वतंत्र भारत को विश्व पटल पर सम्मानित स्थान दिलाया। भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा पूरी दुनिया ने माना और भारत भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित आदि में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है।

आज, स्वतंत्रता के 74 वर्षों के पश्चात, भारत अपनी शैक्षिक योग्यता एवं गुणवत्ता के कारण वैश्विक महाशक्ति बनने के मार्ग पर अग्रसर है। भले ही हमारी शिक्षा नीतियों में कुछ कमियाँ रही हों परंतु हमने अपने परिश्रम से भारत का गौरव बढ़ाया है। हमारी नई शिक्षा नीति-2020 हमारे इस प्रयास को और अधिक बल प्रदान करने का कार्य कर सकती है। आशा है कि इस नई शिक्षा नीति से हम अपने राष्ट्र एवं समाज को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे।

नई शिक्षा नीति बनाम पुरानी शिक्षा नीति

लीना शर्मा,
गाजियाबाद यूनिट

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सीखने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है।

अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" लॉंच किया। इसी नीति के तहत "इग्नू" ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया। सारे देश में एक ही प्रकार की शैक्षिक संरचना रही 10+2+3 । इसी तरह स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल और स्नातकोतर 2 साल था। इसके तहत बोर्ड परीक्षाओं का महत्व सबसे अधिक होता था । इस शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन की बात कही गई, जिसके तहत संस्थाओं ने बड़ी धन राशि वसूलनी शुरू कर दी । योग्य संसाधनो एवं अध्यापकों की कमी रही। विस्तार तो हुआ परंतु केवल प्रतिस्पर्धा का । 1986 की शिक्षा नीति के चलते प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि बच्चे अपने हर साथी को अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में देखने लगे । बचपन के हँसते खेलते साथी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपना क्या कुछ खो बैठते हैं समझ नहीं पाते । अपने कंधों पर बस्तों के बोझ के अलावा अपने माता पिता की आकांक्षाओं बोझ है उठाए पिछड़ जाने के दर से जाने क्या क्या कदम उठा लेते हैं।

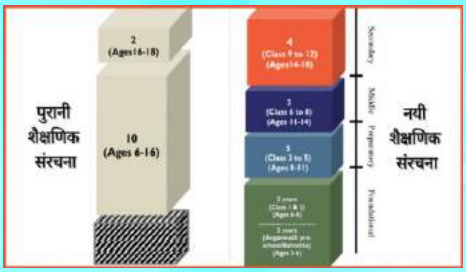

किसको अपने जख्म दिखाऊँ, किसको अपनी व्यथा सुनाऊँ ...इतनी ढेर किताबें लेकर,अब मैं शाला कैसे जाऊँ ।

बस्ते का बढ़ता बोझ ज्ञान की अधिकता को नहीं दर्शाता। एक बच्चे का सम्पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह स्वच्छंद वातावरण में पले-बढ़े। शिक्षा का संबंध मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है परंतु 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी कुछ कमियाँ रह गई जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी।

इसी की और एक सार्थक कदम है नई शिक्षा नीति 2020, जिससे बच्चों के चहुंमुखी विकास की संभावनाएँ अधिक से अधिक बढ़ें।

- नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 फॉर्मूला वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है ।
- फ़ाउंडेशन स्टेज (5 वर्ष) – 3 साल की प्री-प्राइमरी स्कूल और कक्षा 1,2- इन पाँच सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा जो एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान देगा।
- प्रिपरेटरी स्टेज (3 वर्ष)- इस चरण में कक्षा 3 – 5 तक की पढ़ाई होगी। प्रयोगों के द्वारा बच्चों को विज्ञान,गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी।
- मिडिल स्टेज (3 वर्ष)-इसमें कक्षा 6-8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास के विषय शुरू किए जाएंगे।
- सेकेंडरी स्टेज (4 वर्ष)- कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई दो चरणों में होगी जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी।

- 4 साल का डिग्री प्रोग्राम कर बिना एम.फिल के पी.एच.डी कर सकते हैं।
- मल्टिपल एंट्री और एक्ज़िट सिस्टम होगा- पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन – चार साल बाद डिग्री दी जाएगी।
- इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है की स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को दायरे में लाया गया है।
- अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने की बात कही गई है।

केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी।

नदियों के किनारे बसे नगर

- अयोध्या – सरयू नदी
- बद्रीनाथ – अलकनंदा
- गोरखपुर- राप्ती नदी
- श्रीनगर – झेलम नदी
- इलाहाबाद – गंगा यमुना नदी
- मथुरा – यमुना नदी
- वाराणसी – गंगा नदी
- लखनऊ – गोमती नदी
- जौनपुर – गोमती नदी
- सूरत – ताप्ती नदी
- दिल्ली – यमुना नदी
- हैदराबाद – मूसी नदी
- आगरा – यमुना नदी
- कानपुर – गंगा नदी
- कोलकाता – हुगली नदी
- अहमदाबाद – साबरमती नदी
- हरिद्वार – गंगा नदी
- विजयवाड़ा – कृष्णा नदी
- तिरुचिरापल्ली – कावेरी नदी
- गुवाहाटी – ब्रह्मपुत्र नदी
- फिरोजपुर – सतलज नदी
- कर्नूल - तुंगभद्रा नदी
- सोकोव घाट – ब्रह्मपुत्र नदी
- कन्नौज – गंगा नदी
- जमशेदपुर – सुवर्णरेखा नदी
- पंढरपुर - पंढरपुर – भीमा नदी
- बरेली – रामगंगा नदी
- जगदलपुर – इंद्रावती नदी
- डिब्रूगढ़ – ब्रह्मपुत्र नदी
- कोटा – चंबल नदी
- कटक - महानदी
- नासिक – गोदावरी नदी
- श्रीरंगपट्टनम – कावेरी नदी
- संबलपुर – महानदी
- उज्जैन – क्षिप्रा नदी
- ओरछा – बेतवा नदी
- बैतूल – ताप्ती नदी
- लुधियाना – सतलज नदी
- जबलपुर – नर्मदा नदी
- पटना – गंगा नदी

लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (डीईडब्ल्यू)

सचेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुणे

परिचय - युद्ध काफी हद तक अवांछित होता है, किंतु अक्सर अपरिहार्य होता है। वैश्विक स्तर पर, रक्षा परिदृश्य युद्ध और शांति पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को देख रहा है जो पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है। हाल ही के दिनों तक परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रौद्योगिकी में रक्षा क्षमताओं का वर्चस्व था। वर्तमान में, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह अधिभार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नेटवर्क केंद्रित युद्ध दुनिया भर में रक्षा कार्यक्रमों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में निरंतर नवाचार, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (डी.ई.डब्ल्यू) नामक एक नई पीढ़ी के हथियार प्रणाली के विकास को सक्षम कर रहे हैं जो प्रकाश की गति के साथ यात्रा कर सकते हैं और अभूतपूर्व सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। डी.ई.डब्ल्यू में भविष्य के हथियार बनने की प्रबल संभावना है।

डायरेक्ट एनर्जी वेपन (डी.ई.डब्ल्यू) - डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक विनाशकारी हथियार प्रणाली है। इसका उपयोग अत्यधिक ऊर्जा को केंद्रित कर किसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए किया जाता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मूल रूप से एक दिशा में शक्तिशाली इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक (विकिरण) ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह ऊर्जा केंद्रित होकर लक्ष्य के विनाश का कारण बनती है। संभावित लक्ष्य में ड्रोन, यू.ए.वी., मिसाइल, उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन शामिल हैं।

डीईडब्ल्यू में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो स्रोतों में से एक का उपयोग करते हैं:-

1) उच्च ऊर्जा लेजर (एचईएल) 2) हाई-पावर माइक्रोवेव (एचपीएम)

लेजर आधारित डी.ई.डब्ल्यू - लेजर उच्च चमक और दिशात्मकता के अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता है। वर्तमान में लेजर की शक्ति में कई गुना वृद्धि होने से उच्च ऊर्जा लेजर को डी.ई.डब्ल्यू में उपयोग करने के लिए अधिक जोर दिया जाता है। अन्य विकल्पों की तुलना में लेज़र की परिचालन लागत कम है और पेश करने में अपेक्षाकृत आसान है। विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध इसके विविध उपयोग के कारण यह बहुत लोकप्रिय विकल्प है।

रिपोर्टों के अनुसार पारंपरिक, विस्फोट और विखंडन संबंधी हथियार (प्रक्षेप्य आधारित) अपने शिखर पर पहुंच गए हैं जहां से आगे तकनीकी विकास होता है।

उपयोगिता - डी.ई.डब्ल्यू की अंतर्निहित विशेषताएं इसे आज के मौजूदा गतिज ऊर्जा हथियारों (केयूएस) में उपयोगी सिदध होती है। डी.ई.डब्ल्यू के निम्नलिखित अद्वितीय गुण हैं:-

• प्रकाश की गति से विचरण कर लक्ष्य का प्रत्यक्ष विनाश और गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं (कोई प्रक्षेप वक्र गणना की आवश्यकता नहीं)

• ज्यादातर अदृश्य और शांत (छुप कर हमला करने की क्षमता)

• तैनाती के लिए कम अवधि कुछ सेकंड से मिनट तक (दुश्मन लांच की स्थिति से अनभिज्ञ रहता है)

खामियां - कुछ प्रतिबंध हैं जो लेजर आधारित डी.ई.डब्ल्यू को गैर-प्रभावी बना सकते हैं; इनका उपयोग डी.ई.डब्ल्यू के हमले का मुकाबला करने के उपायों के रूप में किया जा सकता है।

• लक्ष्य को लेजर की दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए।

• लेजर के फैलाव के कारण, मारक क्षमता लगभग 100 किमी तक सीमित है।

• बहुत उच्च ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता।

भारत में डी.ई.डब्ल्यू - वर्तमान में, डी.ई.डब्ल्यू. उभरती हुई प्रौद्योगिकी है; इसका विकास और परिनियोजन विभिन्न देशों के बीच विभिन्न चरणों में है। भारत में भी, डी.ई.डब्ल्यू. विकास कम शक्ति (10kW) के प्रायोगिक तौर पर, मध्यम शक्ति (50kW) एवम उच्च शक्ति (कुछ 100kW) का सामरिक तौर पर चरणबद्ध तरीके से प्रगति पर है।

डी.ई.डब्ल्यू.की प्रगति के लिए चुनौतियां:-

डी.ई.डब्ल्यू. के विकास में प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:-

क) उपयुक्त उच्च ऊर्जा लेजर स्रोतों का विकास
ख) उच्चतम स्तर की लेजर बीम वितरण प्रणाली का विकास
ग) कोहरा, धुआं, बारिश धूल आदि के कारण प्रभावित वायुमंडल का मुकाबला करना

निष्कर्ष - वर्तमान में, डी.ई.डब्ल्यू. को परम हथियार नहीं माना जा सकता है। इसके लिये अन्य हथियारों का सह-अस्तित्व और पूरक होना जरूरी है। हालांकि, भावी समय में गैर-डी.ई.डब्ल्यू. विकल्प किसी भी राष्ट्र के लिए हानिकारक हो सकता है। परमाणु हथियार एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण को निष्क्रिय करने, नष्ट करने के लिये डी.ई.डब्ल्यू. एकमात्र हथियार साबित हो सकता है। उपर्युक्त सब बातें इसे भविष्य के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बनाती हैं।

अब बदलाव की बारी

शिवाली राय,
आंतरिक लेखा परीक्षा, बी.जी.

देखो आ गई,

34 वर्षों के इंतज़ार के बाद ,आखिर भारी बदलाव के साथ आ गई,

देखो आ गई,

अंकों के आधार पर आकलन होगा अब बंद,

एकल दिशा वाला दृष्टिकोण होगा खत्म,

होगा अब बच्चों का सर्वांगीण विकासीकरण।

अब न होगा कोई दबाव, जिसमें हो रुचि उसी क्षेत्र में होगा विद्यार्थी का विकास।

बहुत हुआ सिर्फ और सिर्फ शिक्षार्थियों का शिक्षण, अब होगा शिक्षक की शिक्षा का प्रशिक्षण।

अब बात नहीं है सिर्फ एकल विकास की, बारी है अब समग्र विकास की।

जो लग रहा था तब नामुमकिन, उसे मुमकिन बनाने की राह को दिखाती है ये शिक्षा नीति,

अंधकार को दूर कर अब प्रकाश फैलेगा,

सिर्फ शहर ही नहीं गाँव में भी विश्वास का बीज जागेगा।

दुर्गम मार्ग को सरल बनाकर, प्रत्येक अनुशासन के ज्ञान का दीपक जलेगा।

नई शिक्षा नीति लेकर आयी है सफलता और समृध्यता के एक नई सीड़ी,

देखो आ गई,

जलाने फिर शिक्षा की चिंगारी,

नकारात्मकता को हरा कर, सकारात्मकता की आग जलाने ये शिक्षा की नई नीति।

राजभाषा गतिविधियाँ

कार्पोरेट कार्यालय

संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 14.10.2020 को केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद का राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। लोक सभा और राज्य सभा के कुल 7 संसद सदस्यों ने प्रश्नावली की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद के मुख्य वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (एस) तथा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर संतुष्टि व्यक्त की।

कार्पोरेट राजभाषाई निरीक्षण

कोविड-19 के कारण इस वर्ष निकटतम यूनिटों के महाप्रबंधकों से समाविष्ट समिति गठित की गई थी और उक्त समिति के सदस्यों द्वारा बीईएल की पांच यूनिटों / कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण किया गया। निर्धारित निरीक्षण प्रश्नावली के अनुसार यूनिट में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न पहलुओं के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में यूनिट प्रमुख, यूनिट राभाकास के सदस्यों,यूनिटों के राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया।

बीईएल ने नराकास के पुरस्कार जीते

बीईएल कार्पोरेट कार्यालय ने नराकास (उपक्रम), बेंगलूरु के वित्तीय वर्ष 2019-20 (बड़े कार्यालय श्रेणी) के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार और इसकी हिंदी पत्रिका 'नवप्रभा' के लिए तृतीय पुरस्कार जीता।

कृष्णा सोबती व्याख्यानमाला

दिनांक 06 नवंबर, 2020 को कार्पोरेट ऑडिटोरियम में **"सफलता के चार स्तंभ"** विषय पर हिंदी में तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया गया। श्रीमती मीनू सूद, निदेशक, वैल्यूप्वाइंट अकादमी, बेंगलूरु ने इस सत्र का संचालन किया।

दिनांक 17 फरवरी, 2021 को "फोटोग्राफी से रचनात्मक तस्वीरें" विषय पर हिंदी में तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया गया। श्री मनोज यादव, वरिष्ठ उ.म.प्र. (एम.एस.) ने इस सत्र का संचालन किया।

प्रयास-पर्व

वर्ष 2019-20 के दौरान मूल रूप से हिंदी में कार्य करने की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने वाले सदस्यों के प्रयास को मान्यता और प्रेरणा प्रदान करने के लिए दिनांक 02.03.2021 को प्रयास-पर्व मनाया गया। मुख्य अतिथि श्री के सी सिंह, अपर महानिदेशक (सीपीडब्ल्यूडी), बेंगलूरु और सीएमडी महोदय ने सभी प्रतिभागियों को स्मृति-चिह्न प्रदान किया। उक्त वर्ष के लिए एम.एस. विभाग को सीएमडी चल वैजयंती प्रदान की गई।

राजभाषा आप तक

राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए कार्पोरेट राजभाषा द्वारा कार्यपालकों / गैर-कार्यपालकों के लिए राजभाषा आप तक कार्यक्रम (डेस्क समन्वयन) चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 4 अधिकारियों और 5 कर्मचारियों के कार्यस्थल पर जाकर टंकण, अनुवाद और हिंदी में पत्राचार की कठिनाइयों के समाधान में सहयोग किया गया और कार्पोरेट प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गई।

बेंगलूर कॉमप्लेक्स

सन 1975 के जनवरी 10 को पहली बार नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में विश्व भर प्रतिवर्ष जनवरी 10 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

13 जनवरी 2021 को बी ई एल के जनसंपर्क कक्ष, प्रबंधन भवन में विश्व हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। श्री विनय कुमार कत्याल निदेशक, बेगलूरु संकुल ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री चिन्नराजा रै अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं श्रीमती हेमा राघवेंद्र राव, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) भी उपस्थित थे। बी ई एल कथन गीत एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।

श्री चिन्नराजा रै अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया तथा अपने सम्बोधन में कहा कि हिंदी न केवल राष्ट्र की भाषा है अपितु पूरे विश्व की भाषा है, एवं मातृभाषा के साथ – साथ हिंदी को स्वीकार कर उसे वैश्विक संपन्नता का आधार बनाने का संदेश दिया।

श्री सेतुरत्नम एस, व.प्रशा. सहायक राजभाषा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जी का विश्व हिंदी दिवस का संदेश पढ़ा गया।

श्री अमित कुमार, प्रबंधक (मिलिटरी रेडार्स) ने सुरभि के 15वे अंक की झलकियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए तथा कहा कि इस बार का अंक मेरी जन्मभूमि, मेरी प्रेरणा से बहुत सराहनीय लेख प्राप्त हुए।

सुरभि के 15वें अंक का लोकार्पण करते हुए श्री विनय कुमार कत्याल, निदेशक (बेंगलूरु संकुल)

इस अवसर पर राजभाषा पत्रिका सुरभि के 15 वे अंक का लोकार्पण किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में निदेशक ने बताया कि हिंदी हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के विद्यालय में भी लोकप्रिय हो रही है एवं बी ई एल की राष्ट्र के प्रति हिंदी के प्रति समर्पित भाव की भूमिका को सराहा उन्होंने यह भी बताया कि 50% कार्यालयीन वार्तालाप हिंदी में हो रहा इस पर अपनी प्रसन्नता जताई तथा अगले वर्ष तक कार्यालयीन पत्राचार 100% करने की बात की एवं हिंदी समिति कार्यान्वयन को हिंदी को अधिक प्रसार को बढ़ाने का आग्रह किया।

डॉ. गोपालकृष्ण एच एल, उप प्रबंधक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने धन्यवाद ज्ञापन में निदेशक, बेगलूरु संकुल, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) तथा एस बी यू, सी एस जी के सभी राजभाषा अधिकारियों और सुरभि के संपादक एवं लेखकों को धन्यवाद दिया। सुश्री कविता पटेल ने कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन किया। राष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

सीआरएल-बेंगलूर और पीडीआईसी

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

दिनांक 17.02.2021 को पीडीआईसी के ऑडिटोरियम में **'बीईएल में राजभाषा कार्यान्वयन और कर्मचारियों से अपेक्षित योगदान'** विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के लिए संकाय सदस्य के रूप में श्री एम.पी दामोदरन, प्रभारी सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना को आमंत्रित किया गया था।

सामाजिक दूरी का पालन करते हुए इस कार्यशाला में कुल 122 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रयोग संबंधी जारी आदेशों, नियमों, अधिनियमों की जानकारी दी गई और इसके साथ ही सीआरएल और पीडीआईसी में राजभाषा कार्यान्वयन और प्रसार-प्रचार से संबंधित योजनाओं सहित कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित कार्यों और प्रयासों के बारे में बताया गया। कार्यशाला के अंत में सभी अधिकारियों के लिए अभ्यास सत्र भी आयोजित किया गया था।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

सीआरएल और पीडीआईसी कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग और कार्यान्वयन के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24.06.2020 और 26.11.2020 को ऑनलाइन के माध्यम से बैठकें आयोजित की गई। हिंदी माह के दौरान तीसरी तिमाही की बैठक दिनांक 14.09.2020 को आयोजित हुई थी। दिनांक 31.03.2021 को श्री नंद कुमार वी, अध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक, सीआरएल तथा उपाध्यक्ष, श्री मनोज जैन, महाप्रबंधक, पीडीआईसी तथा सदस्यों की उपस्थिति में राभाकास की बैठक संपन्न हुई।

राजभाषा समन्वय समिति की बैठक

दिनांक 13.02.2021 को पीडीआईसी के सम्मेलन कक्ष में सभी राजभाषा समन्वयकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजभाषा संबंधी प्रश्न, तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरे जाने वाले आकड़े, हिंदी प्रशिक्षण के साथ ही कार्यान्वयन संबंधी अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई।

नराकास की बैठकों और गतिविधियों में प्रतिभागिता

सीआरएल, बेंगलूर और पीडीआईसी दोनों नराकास (उपक्रम) बेंगलूर के सदस्य कार्यालय हैं। नराकास द्वारा आयोजित बैठकों में नियमित रूप से कार्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है और संयुक्त हिंदी माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिकारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

दिनांक 23.02.2021को नराकास, उपक्रम द्वारा राजभाषा अधिकारियों की बैठक **'संवाद मिलन'** का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष, महाप्रबंधक (मा.सं.) बेंगलूर कॉम्पलेक्स और मुख्य अतिथि श्री राकेश कुमार, उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, बेंगलूर थे। इस बैठक में सीआरएल और पीडीआईसी की राजभाषा अधिकरी सुश्री रजनी साव ने भाग लिया।

हैदराबाद यूनिट

बीईएल हैदराबाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दूसरे अर्ध वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित निम्न मुख्य गतिविधियां संपन्न हुई-

क) पूर्ण दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन के अंतर्गत22.12.2020 को तीसरे तिमाही एवं 13.03.2019 को चौथे तिमाही की हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं का संचालन यूनिट राजभाषा कर्मियों द्वारा किया गया। राजभाषा नीति, कार्यालयीन काम काज में हिंदी के सरल रूप को अपनाने, टिप्पण एवं मसौदा लेखन, और कंप्यूटर पर यूनिकोड आधारित हिंदी शब्द संसाधन विषयों पर यह कार्यशालाएं केंद्रित थी और इनमें लगभग 77 कर्मचारी उपस्थित हुए।

ख) दिनांक 22.10.2020 को नराकास की 52वीं अर्ध वार्षिक बैठक का आयोजन ऑनलाइन विधि में किया गया जिसमें यूनिट से श्री रमेश टी एन, महाप्रबंधक, श्री निखिल कुमार जैन, अमप्र (थ.आ.प्र. एवं व.से.प्र.) और यूनिट राजभाषा कर्मी उपस्थित हुए।

ग) दि.28.12.2020 को यूनिट में तीसरे तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का आयोजन वीडियो सम्मेलन के माध्यम से किया गया जिसमें तिमाही की मुख्य गतिविधियां, राजभाषा दिशा-निर्देश एवं आगामी वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम के विवरण प्रस्तुत किए गए और इन पर चर्चा हुई तथा दि.27.03.2021 को चौथे तिमाही की राभाकास बैठक आयोजित किया गया।

घ) हिंदी पुस्तकों की खरीद के अंतर्गत इस वर्ष "डिफेंस मॉनिटर" नामक द्वैमासिक हिंदी गृह पत्रिका खरीद कर कर्मचारियों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रभागों में वितरित किया गया और उसकी प्रतियां स्वागत कक्ष, महाप्रबंधक का कार्यालय एवं अतिथि गृह में भी रखे गए।

ङ) दि.23.02.2021 को राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक, डॉ मोहन चंद्र बहुगुणा द्वारा 'कंठस्थ: प्रयोग-विधि और लाभ' विषय पर हैदराबाद-सिकंदराबाद में स्थित नराकास के सदस्य कार्यालयों के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें यूनिट राजभाषा कर्मी सहित अनुवाद कार्य से जुड़े 06 कर्मचारी उपस्थित हुए।

चेन्नै यूनिट

हिंदी भाषा प्रशिक्षण

कर्मचारियों को उनके हिंदी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष बैचवार हिंदी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2020 के दौरान, फैक्ट्री परिसर में सत्र (जुलाई-नवंबर, 2020) के लिए ऑनलाइन हिंदी कक्षाएं आयोजित की गई और कुल 21 अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जनवरी माह 2021 के दौरान हिंदी परीक्षा में उत्तीर्ण कार्मिकों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र दिए गए।

प्रबोध हिंदी परीक्षा में यूनिट में सबसे अधिक अंकप्राप्त कर्ता

प्रवीण हिंदी परीक्षा में यूनिट में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर्ता

हिंदी कार्यशाला

यूनिट में, प्रत्येक तिमाही में पूरे दिन की हिंदी कार्यशाला (स्वयं अभ्यास के साथ) आयोजित की जा रही है। 2020-21 के दौरान यूनिट में कुल 5 ई-हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई और इस कार्यशाला में कुल 74 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। कार्यशाला में हिंदी वार्तालाप पर भी अक्सर चर्चा की जाती है ताकि कार्मिक हिंदी में बात करना जल्द ही सीख सकें।

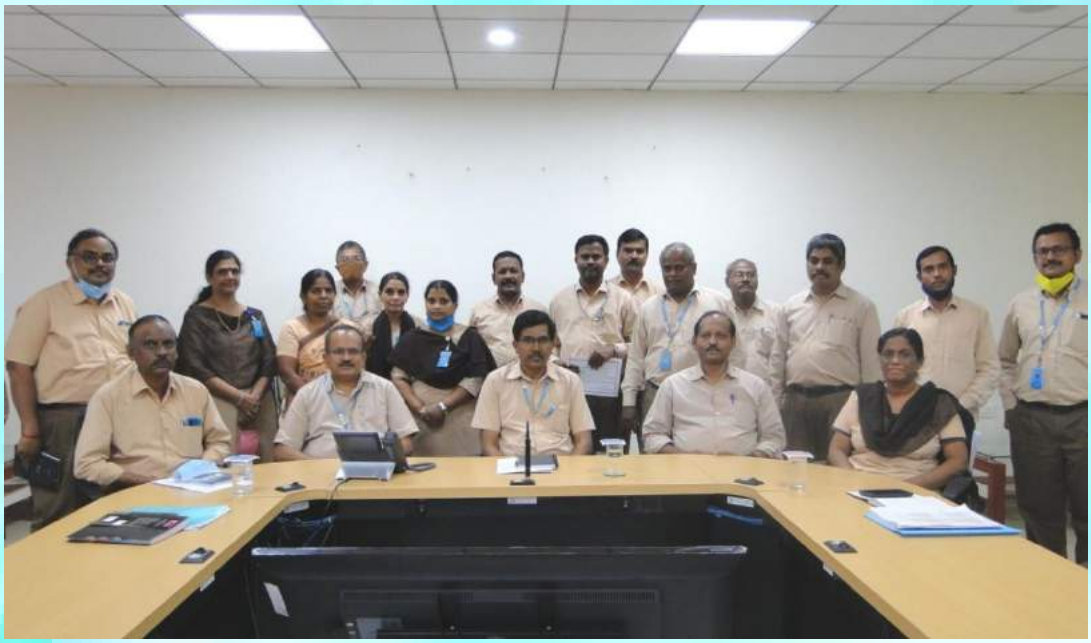

महाप्रबंधक श्री. जी.एल. पेड्रो समेत सभी विभागीय व प्रभागीय प्रमुख, अधिकारी (राभा) एवं हिंदी प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2019-20) के पुरस्कार विजेता

गाज़ियाबाद यूनिट और सी.आर.एल. गाज़ियाबाद

वर्ष 2020-21 के दौरान राजभाषा अनुभाग, बीईएल गाज़ियाबाद द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पहल/कार्यान्वयन	दिनांक	द्वारा/सौजन्य से
1.	विविध ऑनलाइन गायन, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिताएं	अगस्त 2020 से दिसंबर 2020	नराकास के तत्वाधान में
2.	राजभाषाई निरीक्षण	10.12.2020	कॉर्पोरेट कार्यालय, बीईएल बंगलुरु
	नई पहल		
1.	हिंदी साहित्यकारों के जन्मदिन पर डिस्प्ले पर उनके जीवन परिचय व कृतियों का प्रचार-प्रसार	जनवरी 2021 से प्रारम्भ	राजभाषा अनुभाग द्वारा
2.	नए कार्मिकों के आरंभिक प्रशिक्षण में राजभाषा संबंधी सत्र का प्रारम्भ	जनवरी 2021 से प्रारम्भ	राजभाषा अनुभाग द्वारा
	संगोष्ठी		
3.	"हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर" विषय पर	18.11.2020	बीईएल, गाज़ियाबाद तथा सीआरएल, द्वारा प्रायोजित

वर्ष 2020-21 के दौरान राजभाषा अनुभाग, सीआरएल गाजियाबाद द्वारा किए गए कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पहल/क्रियान्वयन	दिनांक	द्वारा/सौजन्य से
1.	विविध ऑनलाइन गायन, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिताएं	अगस्त 2020 से दिसंबर 2020	नराकास के तत्वाधान में
2.	राजभाषाई निरीक्षण	12.10.2020	कॉर्पोरेट कार्यालय, बीईएल बंगलुरु
3.	राजभाषाई निरीक्षण	14.10.2020	संसदीय समिति (प्रथम उपसमिति), नई दिल्ली
	नई पहल		
4.	कार्मिकों के बच्चों में हिंदी के प्रति विशेष रुचि जागृत करने हेतु विशेष प्रोत्साहन व प्रमाण पत्र।	2020 से प्रारम्भ	मुख्य वैज्ञानिक की स्वीकृति के उपरांत राजभाषा अनुभाग द्वारा
	संगोष्ठी		
5.	"हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर" विषय पर	18.11.2020	बीईएल, गाज़ियाबाद तथा सीआरएल, द्वारा प्रायोजित

हिंदी साहित्य – गुलज़ार की किस्सागोई

धुआँ

बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में 'धुआँ' भर गया। चौधरी की मौत सुबह चार बजे हुई थी। सात बजे तक चौधराइन ने रो-धो कर होश सम्भाले और सबसे पहले मुल्ला खैरूद्दीन को बुलाया और नौकर को सख़्त ताकीद की कि कोई ज़िक्र न करे। नौकर जब मुल्ला को आँगन में छोड़ कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख़्वाबगाह में ले गई, जहाँ चौधरी की लाश बिस्तर से उतार कर ज़मीन पर बिछा दी गई थी। दो सफेद चादरों के बीच लेटा एक ज़रदी माइल सफ़ेद चेहरा, सफेद भौंवें, दाढ़ी और लम्बे सफेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था।

मुल्ला ने देखते ही 'एन्नल्लाहे व इना अलेहे राजेउन' पढ़ा, कुछ रसमी से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई, मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया भी। चौधरी की आख़िरी ख़्वाहिश थी कि उन्हें दफ़न के बजाय चिता पर रख के जलाया जाए और उनकी राख को गाँव की नदी में बहा दिया जाए, जो उनकी ज़मीन सींचती है।

मुल्ला पढ़ के चुप रहा। चौधरी ने दीन मज़हब के लिए बड़े काम किए थे गाँव में। हिन्दु-मुसलमान को एकसा दान देते थे। गाँव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी। और तो और हिन्दुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब कई वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी हर रमज़ान में गरीब गुरबा की अफ़्तरी (अफ़्तारी) का इन्तज़ाम मस्जिद में उन्हीं की तरफ़ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा अकीदा था उन पर और अब वसीयत पढ़ के बड़ी हैरत हुई मुल्ला को कहीं झमेला ना खड़ा हो जाए। आज कल वैसे ही मुल्क की फिज़ा खराब हो रही थी, हिन्दू कुछ ज़्यादा ही हिन्दू हो गए थे, मुसलमान कुछ ज़्यादा मुसलमान!!

चौधराइन ने कहा, 'मैं कोई पाठ पूजा नहीं करवाना चाहती। बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में उन्हें जलाने का इन्तज़ाम कर दीजिए। मैं रामचन्द्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इस लिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ न जाए।'

बात बताने ही से बिगड़ गई जब मुल्ला खैरूद्दीन ने मसलेहतन पंडित रामचंन्द्र को बुला कर समझाया कि -- 'तुम चौधरी को अपने शमशान में जलाने की इज़ाज़त ना देना वरना हो सकता है, इलाके के मुसलमान बावेला खड़ा कर दें। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, बहुत से लोग बहुत तरह से उनसे जुड़े हुए हैं।'पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वह किसी तरह की शर अंगेज़ी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले बात फैले, वह भी अपनी तरफ़ के मखसूस लोगों को समझा देंगे।

बात जो सुलग गई थी धीरे-धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है। सारी कौम, सारी कम्युनिटि और मज़हब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वह अपने शौहर को दफ़न करने की बजाय जलाने पर तैयार हो गई। वह क्या इसलाम के आईन नहीं जानती?'

कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की भी ज़िद की। चौधराइन ने बड़े धीरज से कहा,'भाइयों! ऐसी उनकी आख़री ख्वाहिश थी। मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो, जलाने से उनकी रूह को तसकीन मिले तो आपको एतराज़ हो सकता है?'एक साहब कुछ ज़्यादा तैश में आ गए।बोले, 'उन्हें जलाकर क्या आप को तसकीन होगी? "जी हाँ।' चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था।' उनकी आख़री ख़्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तसकीन होगी।'

दिन चढ़ते-चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वह सुलह सफाई से निपटना चाहती थी वह तूल पकड़ने लगी। चौधरी साहब की इस ख़्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लाट, कहानी या राज़ की बात नहीं थी। ना ही कोई ऐसा फलसफ़ा था जो किसी दीन मज़हब या अकीदे से जुड़ता हो। एक सीधी-सादी इन्सानी ख़्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नाम व निशान ना रहे। 'जब हूँ तो हूँ, जब नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ।'

बरसों पहले यह बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहाँ कोई ऐसी तफ़सील में झाँक कर देखता है। और यह बात उस ख़्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मुहब्बत और भरोसे का सुबूत था। यह क्या कि आदमी आँख से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदो पैमान भूल गए।

चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की थी लेकिन पंडित मिला ही नहीं। उसके चौकीदार ने कहा --'देखो भई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़के चौधरी को तिलक जरूर लगाएँगे। "अरे भई जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? "तुम ज़्यादा बहस तो करो नहीं। यह हो नहीं सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुख अग्नि दें। ऐसा ना करें तो आत्मा हम सब को सताएगी, तुम्हें भी, हमें भी। चौधरी साहब के हम पर बहुत एहसान हैं। हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। 'बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया। पन्ना ने जाकर मस्जिद में ख़बर कर दी।

आग जो घुट-घुट कर ठंडी होने लगी थी, फिर से भड़क उठी। चार-पाँच मुअतबिर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे वह उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में, कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया।

शाम होते-होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ धमके। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि चौधराइन को डरा धमका कर, चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और जला दिया जाए फिर वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी।

चौधराइन ने शायद यह बात सूँघ ली थी। वसीयतनामा तो उसने कहीं छुपा दिया था और जब लोगों ने डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, 'मुल्ला खैरूद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी है और पूरी पढ़ी है। "और अगर वह इन्कार कर दे तो?" कुरआन शरीफ़ पर हाथ रख के इन्कार कर दे तो दिखा दूँगी, वरना..."वरना क्या? "वरना कचहरी में देखना।'

बात कचहरी तक जा सकती है, यह भी वाज़े हो गया। हो सकता है चौधराइन शहर से अपने वकील को और पुलिस को बुला ले। पुलिस को बुला कर उनकी हाज़री में अपने इरादे पर अमल कर ले। और क्या पता वह अब तक उन्हें बुला भी चुकीं हों। वरना शौहर की लाश बर्फ़ की सिलों पर रखकर कोई कैसे इतनी खुद एतमादी से बात कर सकता है।

रात के वक्त ख़बरें अफ़वाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। किसी ने कहा, 'एक घोडा सवार अभी-अभी शहर की तरफ़ जाते हुए देखा गया है। घुड़सवार ने सर और मुँह साफे से ढांप रखा था, और वह चौधरी की हवेली से ही आ रहा था। 'एक ने तो उसे चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। ख़ादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ़ लकड़ियाँ काटने की आवाज़ ही नहीं सुनी, बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा है।
चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में, चिता लगवाने का इन्तज़ाम कर रही हैं। कल्लू का खून खौल उठा। 'बुजदिलों - आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठे आग की लपटें देखोगे।'

कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ? ईमान भी तो कोई चीज़ है। 'ईमान से अज़ीज तो माँ भी नहीं होती यारों।'

चार पाँच साथियों को लेकर कल्लू पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया अकेली बैठी थी, लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुज़र गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गए, जहाँ उसकी कब्र तैयार थी। जाते-जाते रमजे ने पूछा,'सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? "बुढ़िया मर गई क्या? "सर तो फट गया था, सुबह तक क्या बचेगी? 'कल्लू रुका और देखा चौधराइन की ख़्वाबगाह की तरफ़। पन्ना कल्लू के 'जिगरे' की बात समझ गया।'तू चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है मैं जानता हूँ। सब इन्तज़ाम हो जाएगा।'

कल्लू निकल गया, कब्रिस्तान की तरफ़। रात जब चौधरी की ख़्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थीं तो सारा कस्बा धुएँ से भरा हुआ था। ज़िन्दा जला दिए गए थे और मुर्दे दफ़न हो चुके थे।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

नवप्रभा

बी ई एल कथन गीत

देश की रक्षा अपना फर्ज़ है, भारत की है शान
बी ई एल ! बी ई एल !
भूमि जल हो या हो आसमान,
वीर जवानों के साथ खड़े हरदम,
अंधेरे में भी हम राह को रोशन करें
बी ई एल ! बी ई एल ! बी ई एल !
दशा दिशा का पता बताएं शान से खड़ी रेडारें,
कंधों पर सजते हैं संचार यंत्र हमारे,
जहाज़ हो या अंतरिक्ष यान उनमें तंत्र हमारे,
शिक्षण हो या प्रसारण साथ हैं यंत्र हमारे,
जन जन का सहयोग करें हम,
मतदान को आसान करें हम,
नावू बी ई एल ! मेमू बी ई एल !
आपण बी ई एल ! नांगल बी ई एल !
आमरा बी ई एल ! हम हैं बी ई एल !
बी ई एल ! बी ई एल ! बी ई एल !

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भूमि, समुद्र और आकाश को सुरक्षित बनाते हुए

अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिकी

डिजिटल मोबाइल रेडियो रिले के लिए सैटकॉम

तटीय चौकसी प्रणाली

टैंक अपग्रेड

शस्त्र प्रणाली

गृहभूमि सुरक्षा व स्मार्ट सिटी

वैमानिकी

रेडार

इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स

सैन्य संचार

असैनिक उत्पाद

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल), भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने उत्पादों और प्रणालियों की व्यापक श्रृंखला के साथ देश के सशस्त्र बलों को सुसज्जित करने और सैनिकों को अपने निर्णायक मिशनों में सशक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। बहु-उत्पाद, बहु-यूनिट वाली कंपनी, बीईएल में अपनी सभी प्रक्रियाओं में विश्व-स्तरीय गुणता बनाए रखते हुए आद्योपांत, आवश्यकता के अनुरूप समाधान प्रदान करने की विशेषज्ञता है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम)
पंजी. कार्यालय-आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु-560 045, भारत

टॉल फ्री नं.-18·00 425 0433
सीआईएन नं.- L32309KA1954GOI000787
www.bel-india.in

राष्ट्र के रक्षा बलों को सशक्त बनाते हुए